लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक
27 अक्टूबर, 2007
में विचारणीय विषयों की

कार्य-सूची

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांकः 27 अक्टूबर, 2007 में विचारणीय विषयों की कार्य–सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांकः 29 सितम्बर, 2007 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	01
2.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29 सितम्बर, 2007 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।	09
3.	भूखण्ड संख्या–13ए माल एवन्यू, लखनऊ पर प्रस्तावित **"मान्यवर कांशीराम यादगार विश्राम स्थल"** मानचित्र को फ्लोटिंग उपयोग के अन्तर्गत विशेष अनुमति से अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में लखनऊ महायोजना– 2021 में प्राविधानित समिति की संस्तुति पर विचार–विमर्श ।	16
4.	भूखण्ड संख्या–4, साऊथ एवेन्यू, लखनऊ पर प्रस्तावित **"मान्यवर कांशीराम स्मृति भवन"** मानचित्र को फ्लोटिंग उपयोग के अन्तर्गत विशेष अनुमति से अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में लखनऊ महायोजना–2021 में प्राविधानित समिति की संस्तुति पर विचार–विमर्श।	20
5.	लखनऊ विकास प्राधिकरण के आय–व्यय वित्तीय वर्ष 2007–08 की समीक्षा ।	24
6.	लखनऊ विकास प्राधिकरण के संस्थागत भूखण्डों के आवंटन की प्रक्रिया के निर्धारण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श एवं निर्णय ।	27
7.	वर्ष 1980 से लखनऊ विकास प्राधिकरण में लम्बित पुराने पंजीकरणों पर चर्चा एवं उनके सम्बन्ध में निर्णय पर विचार ।	28
8.	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अर्जित की जा रही भूमि की प्रगति के सम्बन्ध में समीक्षा ।	29
9.	लखनऊ विकास प्राधिकरण में चल रहे कम्प्यूटराइजेशन के कार्य की प्रगति की समीक्षा ।	30
10.	लखनऊ विकास प्राधिकरण में जन शिकायतों के निस्तारण एवं प्रक्रिया पर विचार ।	31

विषय संख्या : 1   पृष्ठ संख्या : 01

विषयः लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29 सितम्बर, 2007 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

पुष्टिकरण

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29सितम्बर, 2007 का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु संलग्न है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29 सितम्बर, 2007 में लिये गये निर्णयों का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	श्री विजय शंकर पाण्डेय	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
2.	श्री हरभजन सिंह	उपाध्यक्ष,लखनऊ विकास प्राधिकरण
3.	श्री चन्द्र भानु	जिलाधिकारी, लखनऊ।
4.	श्री रामबहादुर (प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव–आवास)	विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन।
5.	श्री ओम नारायण	निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।
6.	श्री ए0सी0 सिन्हा (प्रतिनिधि–नगर आयुक्त)	अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
7.	श्री अवनीश चतुर्वेदी	संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
8.	ई0 सूरज लाल	मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम,लखनऊ।
9.	श्री एन0आर0 वर्मा	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
10.	श्री संजीव कश्यप (प्रतिनिधि–आवास आयुक्त)	आर्कीटेक्ट प्लानर/ओ.एस.डी. उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

अन्य उपस्थिति:

11.	श्री भूपेन्द्र सिंह	सचिव, ल.वि.प्रा.,लखनऊ।
12.	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह	अपर सचिव, ल0वि0प्रा0।
13	श्री महेन्द्र प्रसाद	वित्त नियन्त्रक, ल.वि.प्रा.।
14.	श्री त्रिलोकी नाथ	मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।
15.	श्री रवि श्रीवास्तव	मुख्य अभियन्ता–नि0या0, ल0वि0प्रा0

५

1

अध्यक्ष महोदय के सम्बोधन एवं उपाध्यक्ष एवं सदस्यगणों के औपचारिक परिचय के उपरान्त बैठक प्रारम्भ हुई ।

विषय संख्या : 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13 अगस्त, 2007 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13 अगस्त, 2007 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

विषय संख्या: 2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13 अगस्त, 2007 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय: लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13 अगस्त, 2007 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी तथा इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया कि तात्कालिक प्रकृति के उस सीमा तक के कार्य ही उत्तर प्रदेश राज्यकीय निर्माण निगम की पद्धति पर किये जाये, जिसके सम्बन्ध में टेण्डर प्रक्रिया का पालन किया जाना सम्भव न हो। इस परियोजना के शेष कार्यों हेतु वर्तमान में प्रचलित टेण्डर प्रक्रिया अपनायी जाये।

विषय संख्या : 3 शारदा नगर योजना के राधा खण्ड में रमाबाई अम्बेडकर मैदान का विकास करने के सम्बन्ध में ।

निर्णय: प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। भूमि की लागत शासन से प्राप्त करने हेतु शासन को पत्र प्रेषित करने का भी निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 4 लखनऊ नगर में जेल रोड पर स्थित डा0 भीमराव अम्बेडकर मैदान को "मान्यवर कांशीराम जी स्मारक स्थल" के रुप में विकसित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 5 कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत लखनऊ-बिजनौर रोड पर स्थित स्मृति उपवन का नामकरण "मान्यवर कांशीराम जी स्मृति उपवन" करने तथा इसका वृहद विकास करने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या: 6	राजाजी पुरम से कालीदास मार्ग तक जी0एच0 कैनाल पर सड़क निर्मित करने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
विषय संख्या : 7	लखनऊ नगर में बहु–विशेषज्ञीय अस्पताल तथा अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेण्टर परियोजनाओं का क्रियान्वयन पी0पी0पी0 माडल पर कराने के सम्बन्ध में ।
निर्णय :	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा महायोजना के प्राविधानो के अनुसार प्रस्तावित स्थल के भू–उपयोग का परीक्षण कर लिया जाये एवं प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल एवं आकार का निर्धारण कर लिया जाये।
विषय संख्या : 8	लखनऊ नगर की अवस्थापना विकास, जनसुविधा, सौन्दर्यीकरण व अन्य अर्बन रिजुवनेशन परियोजनाओं का क्रियान्वयन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी0पी0पी0) माडल पर क्रियान्वित करने हेतु कन्सल्टेंट का चयन करने एवं पी0डी0एस0पी0वी0 गठित करने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित किया गया कि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कन्सल्टेंट के चयन की कार्यवाही नियमानुसार की जाये। प्रोजेक्ट डेवलपमेन्ट एस0पी0वी0 बनाने से पूर्व अनुबन्ध आदि पर प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।
विषय संख्या : 9	लखनऊ नगर के सुनियोजित विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2000 में विकासकर्ता कम्पनी / वास्तुविद / नगर नियोजकों द्वारा प्रस्तुत सुझावों के अनुसार कतिपय संशोधनों पर विचार।
निर्णय :	इस सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रकरण में विस्तृत अध्ययन करने तथा सुझाव एवं संस्तुति देने हेतु समिति गठित करने के लिए अधिकृत किया गया। समिति द्वारा एक माह में अपनी संस्तुति प्रस्तुत की जायेगी।

विषय संख्या : 10 — लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आर्थिक स्थिति से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों हेतु निर्मित किये जाने वाले रिहायशी इकाईयों का घनत्व 500 रिहायशी इकाईयों प्रति हेक्टेअर अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध मे ।

निर्णय : प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित किया गया कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा परीक्षण करके एक सप्ताह मे संस्तुति प्रस्तुत की जायेगी ।

विषय संख्या : 11 — ताज रेजीडेन्सी के पीछे पुलिस चौकी के बगल में उपलब्ध दो एकड़ भूमि तथा ग्राम औरंगाबाद खालसा में शहीद पथ के दक्षिण में उपलब्ध 10 बीघा 5 बिस्वा 18 बिस्वांसी भूमि पार्क एवं खुले क्षेत्र/हरित पट्टी भू–उपयोग में अवस्थित है। पुलिस चौकी के बगल में उपलब्ध दो एकड़ भूमि पर अतिथिगृह का निर्माणं किये जाने तथा प्रश्नगत औरंगाबाद खालसा में उपलब्ध भूमि को आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

विषय संख्या : 12 — डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस चौकी के बगल में अतिथिगृह का निर्माण, डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल परिसर के बाहर रमाबाई अम्बेडकर मैदान एवं उससे सम्बन्धित क्षेत्र का कार्य तथा डा0 भीमराव अम्बेडकर मैदान का लैण्ड स्केप तथा अन्य कार्यो हेतु मेसर्स आर्कीटेट ब्यूरो, नई दिल्ली को कन्सल्टेंट के रुप में की गई नियुक्ति की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णय : अवलोकित किया गया ।

विषय संख्या :13 — राजाजीपुरम से कालीदास मार्ग तक गाजीउद्दीन हैदर कैनाल पर प्रस्तावित 60 मी0 सड़क की चौड़ाई को 30 मी0 (कैनाल के दायीं ओर) किये जाने तथा कैनाल के दूसरी ओर (कैनाल के बायी ओर) अवशेष 30 मी0 चौड़ी पट्टी की रोड कालीदास मार्ग से सदर कारिंग तक आवासीय सदर कारिंग से मवैया तक व्यवसायिक तथा मवैया से राजाजीपुरम तक आवासीय मे परिवर्तित किए

जाने के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति पर विचार किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या :14 गोमती नगर योजना के विभूति खण्ड में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ के पक्ष में आवंटित 40 एकड़ भूमि का भू–उपयोग व्यवसायिक से संस्थागत (कार्यालय) में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव अनुमोदित किया गया और यह भी निर्णय हुआ कि भूमि के वाणिज्यिक एवं संस्थागत मूल्य के अन्तर की धनराशि की मांग शासन से की जाये।

विषय संख्या :15 लखनऊ महायोजना 2021 के अन्तर्गत तैयार किये जा रहे 4 जोनल प्लान्स की प्रगति तथा 3 और जोनल प्लान्स तैयार किये जाने हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को नोडल एजेन्सी नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : महायोजना 2021 के अन्तर्गत जोनल प्लान तैयार करने हेतु एजेन्सी के चयन के लिए उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि जोनल प्लान बनाने हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि आगामी बैठक से पूर्व जोनल प्लान्स तैयार कर लिये जाये।

विषय संख्या :16 श्रीमती ऊषा बजाज पत्नी श्री रणवीर बजाज एवं श्रीमती सुनील बजाज पत्नी श्री प्रदीप बजाज द्वारा भूखण्ड संख्या बी–940, सेक्टर–ए, महानगर, लखनऊ का भू–उपयोग महायोजना 2021 में आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ पीठ में दायर याचिका सं0 6553(एम.बी.)/2006 पर पारित आदेश के सम्बन्ध में।

निर्णय : माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.12.06 के क्रम में प्रस्ताव पर विचार किया गया। कुल 5 भूखण्डों में से केवल एक भूखण्ड का मानचित्र व्यवसायिक प्रयोजन हेतु है, शेष भूखण्डों के मानचित्र आवासीय प्रयोजन हेतु स्वीकृत है। अतः प्रस्ताव के अनुसार भू–उपयोग परिवर्तन स्वीकृत करने का औचित्य नहीं पाया गया।

विषय संख्या :17 बिरला साफ्ट द्वारा आवास बंधु उत्तर प्रदेश के माध्यम से विकसित इन्टीग्रेटेड अप्लीकेशन साफ्टवेयर पैकेज (आई०ए०एस०पी०) को लखनऊ विकास प्राधिकरण में सुचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु फेसिलिटी मैनेजमेंट के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि बिरला साफ्ट द्वारा विकसित पैकेज लागू होने के उपरान्त पूर्व से आउटसोर्स के आधार पर लगाये गये स्टाफ को चरणबद्ध रूप से कम किया जाये एवं इस हेतु एक कार्य योजना अगली बैठक में प्रस्तुत की जाये।

विषय संख्या :18 कानपुर रोड, शारदा नगर, आशियाना, एल्डिको आदि योजनाओं के सीवर डिस्पोजल हेतु सम्पवेल तथा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण हेतु 40 एकड़ भूमि निगोशियेसन के आधार पर अर्जित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या :19 ग्राम–बरगंवा, परगना–बिजनौर, जनपद–लखनऊ स्थित खसरा संख्या–585 में निर्मित भवन के समायोजन हेतु।

निर्णय : सक्षम स्तर पर नियमानुसार विचार किया जाये।

विषय संख्या :20 कुमॉयु परिषद, लखनऊ द्वारा उत्तराखण्ड कलाकेन्द्र एवं बहु– उद्देशीय भवन के निर्माण हेतु कुमायूँ परिषद को गोमती नगर विस्तार योजना में 500 वर्गमीटर संस्थागत भूमि आवंटन विषयक।

निर्णय : इस सम्बन्ध में शासनादेश एवं नोएडा द्वारा अपनायी गई नीति के आधार पर प्राधिकरण द्वारा अपनी नीति बनाई जाये और नीति के अनुसार समस्त लम्बित प्रस्तावों पर विचार किया जाये।

विषय संख्या :21	ओसामा तलहा फाउण्डेशन हेतु व्यवसायिक शिक्षण संस्थान आई0टी0आई0, बी0बी0ए0 एवं एम0बी0ए0 को हरदोई रोड योजना के सेक्टर–आई मे 25 एकड़ संस्थागत भूमि आवंटन विषयक ।
निर्णय :	विषय संख्या–20 में लिए गये निर्णय के अनुसार लिया जाये।

(भूपेन्द्र सिंह)
सचिव

(हरभजन सिंह)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

(विजय शंकर पाण्डेय)
आयुक्त लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29 सितम्बर, 2007 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

विषय कमांक	विषय	लिया गया निर्णय	अनुपालन
1	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13 अगस्त, 2007 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13 अगस्त, 2007 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।	नोट किया गया ।
2	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13 अगस्त, 2007 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13 अगस्त ,2007 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन की आख्या अवलोकित की गई तथा इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया कि तात्कालिक प्रकृति के उस सीमा तक के कार्य ही उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की पद्धति पर किये जाये, जिसके सम्बन्ध में टेण्डर प्रकिया का पालन किया जाना सम्भव न हो। इस परियोजना के शेष कार्यो हेतु वर्तमान में प्रचलित टेण्डर प्रकिया अपनायी जाये ।	नोट किया गया।
3	शारदा नगर योजना के राधा खण्ड में रमाबाई अम्बेडकर मैदान का विकास करने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। भूमि की लागत शासन से प्राप्त करने हेतु शासन को पत्र प्रेषित करने का भी निर्णय लिया गया।	अनुपालन किया गया।
4	लखनऊ नगर में जेल रोड पर स्थित डा0	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।	कार्यवाही की जा रही है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27 अक्टूबर, 2007 में लिये गये निर्णयों का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	श्री विजय शंकर पाण्डेय	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
2.	श्री किशन सिंह अटोरिया	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण
3.	श्री चन्द्र भानु	जिलाधिकारी, लखनऊ।
4.	श्री रामबहादुर (प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव–आवास)	विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन।
5.	श्री ओम नारायण	निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।
6.	श्री ए0सी0 सिन्हा (प्रतिनिधि–नगर आयुक्त)	अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
7.	श्री अवनीश चतुर्वेदी	संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
8.	ई0 सूरज लाल	मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम,लखनऊ।
9.	श्री एस0बी0 दफ्तरदार (प्रतिनिधि–मु0न0 एवं ग्रा0नि0)	सीनियर प्लानर, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
10.	श्री संजीव कश्यप (प्रतिनिधि–आवास आयुक्त)	आर्कीटेक्ट प्लानर / ओ.एस.डी. उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

अन्य उपस्थिति :

11.	श्री भूपेन्द्र सिंह	सचिव, ल0वि0प्रा0, लखनऊ।
12.	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह	अपर सचिव, ल0वि0प्रा0।
13.	श्री महेन्द्र प्रसाद	वित्त नियन्त्रक, ल.वि.प्रा.।
14.	श्री त्रिलोकी नाथ	मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।
15.	श्री रवि श्रीवास्तव	मुख्य अभियन्ता–वि0 / यां0, ल0वि0प्रा0

अध्यक्ष महोदय के सम्बोधन एवं उपाध्यक्ष एवं सदस्यगणों के औपचारिक परिचय के उपरान्त बैठक प्रारम्भ हुई ।

विषय संख्या : 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29 सितम्बर, 2007 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29 सितम्बर, 2007 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

विषय संख्या : 2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29 सितम्बर, 2007 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29 सितम्बर, 2007 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

विषय संख्या : 3 भूखण्ड संख्या 13–ए माल एवेन्यू, लखनऊ पर प्रस्तावित **"मान्यवर कांशीराम यादगार विश्राम स्थल"** मानचित्र को फ्लोटिंग उपयोग के अन्तर्गत विशेष अनुमति से अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में लखनऊ महायोजना–2021 में प्राविधानित समिति की संस्तुति पर विचार–विमर्श।

निर्णय : विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 4 भूखण्ड संख्या–4, साउथ एवेन्यू लखनऊ पर प्रस्तावित **"मान्यवर कांशीराम स्मृति भवन"** मानचित्र को फ्लोटिंग उपयोग के अन्तर्गत विशेष अनुमति से अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में लखनऊ महायोजना–2021 में प्राविधानित समिति की संस्तुति पर विचार–विमर्श।

निर्णय : विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 5 लखनऊ विकास प्राधिकरण के आय–व्यय वित्तीय वर्ष 2007–08 की समीक्षा।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की आगामी बैठक के पूर्व वर्ष 2005–06 का आय–व्ययक एवं बैलेंस शीट एजेण्डा के साथ प्रसारित कर दी जाये तथा आगामी बैठक में इस पर विचार–विमर्श किया जाये।

विषय संख्या : 6	लखनऊ विकास प्राधिकरण के संस्थागत भूखण्डों के आवंटन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में विचार–विमर्श एवं निर्णय।
निर्णय :	निर्णय लिया गया कि संस्थागत भूखण्डों के आवंटन की प्रक्रिया एक माह में तैयार करके आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये। तब तक ग्रेटर नोएडा में लागू प्रक्रिया के अनुसार आवंटन कार्यवाही की जाये।
विषय संख्या : 7	वर्ष 1980 से लखनऊ विकास प्राधिकरण में लम्बित पुराने पंजीकरणों पर चर्चा एवं उनके सम्बन्ध में निर्णय पर विचार।
निर्णय :	हरदोई रोड योजना के लम्बित पंजीकरणों के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि जिन सेक्टरों के लिए लाटरी अभी नहीं डाली गयी है, उनकी लाटरी की कार्यवाही शीघ्र सम्पादित की जाये। जिससे प्राधिकरण को ब्याज की देयता से बचाया जा सके।
विषय संख्या : 8	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अर्जित की जा रही भूमि की प्रगति के सम्बन्ध में समीक्षा।
निर्णय :	प्रगति का अवलोकन किया गया एवं निर्णय लिया गया कि भूमि अर्जन की प्रस्तावित योजनाओं में समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करके धारा–4 व धारा–6 की विज्ञप्तियॉ प्रकाशित करायी जाये तथा अर्जित भूमि का टेन्टेटिव ले–आउट प्लान भी साथ–साथ तैयार कराया जाये।
विषय संख्या : 9	लखनऊ विकास प्राधिकरण में चल रहे कम्प्यूटराइजेशन के कार्य की प्रगति की समीक्षा।
निर्णय :	प्रगति से अवगत कराया गया एवं निर्देश दिये गये कि साफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने तथा उस पर कार्य प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो चुकी है। अतः निर्देश दिये गये कि एक सुनिश्चित कार्यक्रम तैयार करके कम्प्यूटराइजेशन की कार्यवाही की जाये तथा आगामी बैठक में भी समीक्षा की जाये।

विषय संख्या : 10 लखनऊ विकास प्राधिकरण में जन–शिकायतों के निरतारण एवं प्रक्रिया पर विचार।

निर्णय : जन शिकायतों के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित अधिकारियों के टेलीफोन नम्बर प्रकाशित करा दिये जाये, जिससे जनता को सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क करने में कठिनाई न हो। यह भी निर्देश दिये गये कि निरतारण से शिकायतकर्ता को भी अवगत कराया जाये।

अनुपूरक विषय सं0 : 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्थित भूमि के समायोजन हेतु नीति निर्धारण के सम्बन्ध में।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि विभिन्न योजनाओं में जो खसरा नम्बर पूर्व में अधिग्रहण से छूट गये है, उनका तत्काल अधिग्रहण किया जाये तथा पूर्व के अधिग्रहण में जो भूमि छूट गई, उसके लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरूद्ध कृत कार्यवाही की आख्या बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि समायोजन के जो प्रकरण पूर्व में क्रियान्वित नहीं हो पाये हैं, उन्हें निरस्त कर दिया जाये। यदि कोई समायोजन प्राधिकरण की योजनाओं के हित में अत्यन्त अपरिहार्य हो तो उसे मुख्य अभियन्ता, संयुक्त सचिव–अर्जन, वित्त नियंत्रक, अपर सचिव व सचिव की समिति द्वारा विधिवत् परीक्षण करके औचित्य सहित बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

(भूपेन्द्र सिंह)
सचिव

(किशन सिंह अटोरिया)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

(विजय शंकर पाण्डेय)
आयुक्त लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27 अक्टूबर, 2007 में लिये गये निर्णयों का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	श्री विजय शंकर पाण्डेय	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
2.	श्री किशन सिंह अटोरिया	उपाध्यक्ष,लखनऊ विकास प्राधिकरण
3.	श्री चन्द्र भानु	जिलाधिकारी, लखनऊ।
4.	श्री रामबहादुर (प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव–आवास)	विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन।
5.	श्री ओम नारायण	निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।
6.	श्री ए0सी0 सिन्हा (प्रतिनिधि–नगर आयुक्त)	अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
7.	श्री अवनीश चतुर्वेदी	संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
8.	ई0 सूरज लाल	मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम,लखनऊ।
9.	श्री एस0बी0 दफ्तरदार (प्रतिनिधि–मु0न0 एवं ग्रा0नि0)	सीनियर प्लानर,मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
10.	श्री संजीव कश्यप (प्रतिनिधि–आवास आयुक्त)	आर्कीटेक्ट प्लानर/ओ.एस.डी. उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

अन्य उपस्थिति:

11.	श्री भूपेन्द्र सिंह	सचिव, ल.वि.प्रा.,लखनऊ।
12.	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह	अपर सचिव, ल0वि0प्रा0।
13.	श्री महेन्द्र प्रसाद	वित्त नियन्त्रक, ल.वि.प्रा.।
14..	श्री त्रिलोकी नाथ	मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।
15.	श्री रवि श्रीवास्तव	मुख्य अभियन्ता–वि0यां0, ल0वि0प्रा0

अध्यक्ष महोदय के सम्बोधन एवं उपाध्यक्ष व सदस्यगणों के औपचारिक परिचय के उपरान्त बैठक प्रारम्भ हुई ।

विषय संख्या : 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29 सितम्बर, 2007 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29 सितम्बर, 2007 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।

विषय संख्याः 2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29 सितम्बर, 2007 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णयः लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29.09.07 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी तथा इस सम्बन्ध में अपेक्षा की गयी किः-

1. उपाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि रमाबाई अम्बेडकर मैदान के विकास के लिए आगणन शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है बैठक में अपेक्षा की गई कि यथा-शीघ्र शासन की स्वीकृति प्राप्त की जाये एवं "मान्यवर कांशीराम जी स्मृति उपवन" के विकास के लिए प्रेषित किये गये आगणन की भी स्वीकृति शासन से शीघ्र प्राप्त की जाये।

2. लाल बहादुर शास्त्री मार्ग से सदर तक जी0एच0 कैनाल को कवर करने हेतु सड़क निर्माण एवं अन्य विकास के लिए शासन को प्रेषित किये गये आगणन की स्वीकृति हेतु शासन से अनुरोध किया जाये।

3. लखनऊ नगर जोनल प्लान्स के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि इस हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाये एवं आगामी बैठक से पूर्व जोनल प्लान्स तैयार करके अनुपालन से प्राधिकरण को अवगत कराया जाये।

4. प्राधिकरण में साफ्टवेयर इम्प्लीमेन्टेशन करने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि बिरला साफ्टवेयर से विचार-विमर्श करके एक निश्चित कार्यक्रम तैयार कर आगामी बैठक से पूर्व साफ्टवेयर का संचालन सुनिश्चित किया जाये ।

विषय संख्या : 3 — भूखण्ड संख्याः 13–ए माल एवन्यू, लखनऊ पर प्रस्तावित **''मान्यवर कांशीराम यादगार विश्राम स्थल''** मानचित्र को फ्लोटिंग उपयोग के अन्तर्गत विशेष अनुमति से अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में लखनऊ महायोजना–2021 में प्राविधानित समिति की संस्तुति पर विचार–विमर्श ।

निर्णयः — विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

विषय संख्या : 4 — भूखण्ड संख्या–4, साऊथ एवेन्यू, लखनऊ पर प्रस्तावित **''मान्यवर कांशीराम स्मृति भवन''** मानचित्र को फ्लोटिंग उपयोग के अन्तर्गत विशेष अनुमति से अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में लखनऊ महायोजना–2021 में प्राविधानित समिति की संस्तुति पर विचार–विमर्श ।

निर्णय : — विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

विषय संख्या : 5 — लखनऊ विकास प्राधिकरण के आय–व्यय वित्तीय वर्ष 2007–08 की समीक्षा ।

निर्णय : — निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की आगामी बैठक के पूर्व वर्ष 2005–06 का आय–व्ययक एवं बैलेन्स शीट एजेण्डा के साथ प्रसारित कर दी जाये एवं आगामी बैठक में इस पर विचार विमर्श किया जाये ।

विषय संख्याः 6 — लखनऊ विकास प्राधिकरण के संस्थागत भूखण्डों के आवंटन की प्रकिया के निर्धारण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श एवं निर्णय ।

निर्णयः — निर्णय लिया गया कि संस्थागत भूखण्डों के आवंटन की प्रकिया एक माह में तैयार करके आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये। तब तक ग्रेटर नोएडा में लागू प्रकिया के अनुसार आवंटन की कार्यवाही की जाये ।

विषय संख्या : 7 — वर्ष 1980 से लखनऊ विकास प्राधिकरण में लम्बित पुराने पंजीकरणों पर चर्चा एवं उनके सम्बन्ध में निर्णय पर विचार ।

निर्णय : — विचार–विमर्श के दौरान अवगत कराया गया कि पुराने पंजीकरणों को निरस्त कर धनराशि वापस किये जाने के

निर्णय को स्थानीय समाचार–पत्रों में प्रकाशित कराकर आवेदकों को धनराशि नियमानुसार वापस की जा रही है। हरदोई रोड योजना के लम्बित पंजीकरणों के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि जिन सेक्टरों के लिए लाटरी अभी नहीं डाली गयी है उनकी लाटरी की कार्यवाही शीघ्र सम्पादित की जाये। जिससे प्राधिकरण को ब्याज की देयता से बचाया जा सके ।

पुराने पंजीकरणों के बारे में दैनिक समाचार पत्रों में पुनः एक बार इस आशय की सूचना प्रकाशित करायी जाये कि निरस्त पंजीकरणों की धनराशि आवेदक तत्काल वापस ले लें ।

विषय संख्या : 8 लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अर्जित की जा रही भूमि की प्रगति के सम्बन्ध में समीक्षा ।

निर्णय : प्रगति का अवलोकन किया गया एवं निर्णय लिया गया कि भूमि अर्जन की प्रस्तावित योजनाओं में समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करके धारा–4 व धारा–6 की विज्ञप्तियॉ प्रकाशित करायी जाये तथा अर्जित भूमि का टेन्टेटिव ले–आउट प्लान भी साथ–साथ तैयार कराया जाये ।

विषय संख्या : 9 लखनऊ विकास प्राधिकरण में चल रहे कम्प्यूटराइजेशन के कार्य की प्रगति की समीक्षा ।

निर्णय : प्रगति से अवगत कराया गया एवं निर्देश दिये गये कि साफ्टवेयर को इम्प्लीमेन्ट करने तथा उस पर कार्य प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो चुकी है। अतः निर्देश दिये गये कि एक सुनिश्चित कार्यक्रम तैयार करके कम्प्यूटराइजेशन की कार्यवाही की जाये तथा आगामी बैठक में भी समीक्षा की जाये ।

विषय संख्या : 10 लखनऊ विकास प्राधिकरण में जन शिकायतों के निस्तारण एवं प्रक्रिया पर विचार ।

निर्णय : जन शिकायतों के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित अधिकारियों के टेलीफोन नम्बर प्रकाशित करा दिये जायें जिससे जनता को सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क करने में कठिनाई न हो। यह भी निर्देश दिये गये कि निस्तारण से शिकायतकर्ता को भी अवगत कराया जाये ।

निर्णय लिया गया कि विभिन्न योजनाओं में जो खसरा नम्बर पूर्व में अधिग्रहण से छूट गये हैं, उनका तत्काल अधिग्रहण किया जाये तथा पूर्व के अधिग्रहण में जो भूमि छूट गई, उसके लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरूद्ध कृत कार्यवाही की आख्या बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि समायोजन के जो प्रकरण पूर्व में क्रियान्वित किये गये हैं, उनकी जांच करायी जाये तथा जो प्रकरण अभी तक क्रियान्वित नहीं हो पाये हैं, उन्हें निरस्त कर दिया जाये। यदि कोई समायोजन प्राधिकरण की योजनाओं के हित में अत्यन्त अपरिहार्य हो तो उसे मुख्य अभियंता, संयुक्त सचिव(अर्जन), वित्त नियंत्रक, अपर सचिव एवं सचिव की समिति द्वारा विधिवत परीक्षण करके औचित्य सहित बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

अनु0 विषय सं0: 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्थित भूमि के समायोजन हेतु नीति निर्धारण के सम्बन्ध में ।

निर्णयः प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी तथा इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि पारदर्शिता लाने हेतु प्राधिकरण द्वारा गठित समिति इसका विस्तृत रुप से अध्ययन कर अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करे तथा यह भी निर्णय लिया गया कि विभिन्न योजनाओं में जो खसरा नम्बर पूर्व में अधिग्रहण से छूट गये हैं उन्हें यथा–सम्भव अब अधिग्रहीत किया जाये व पूर्व में अधिग्रहण से छूटने हेतु कौन–कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं इसकी भी जांच करायी जाये

(भूपेन्द्र सिंह)
सचिव

(किशन सिंह अटोरिया)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

(विजय शंकर पाण्डेय)
आयुक्त लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

	भीमराव अम्बेडकर मैदान को ''मान्यवर कांशीराम जी स्मारक स्थल'' के रुप में विकसित करने के सम्बन्ध में ।		
5	कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत लखनऊ–बिजनौर रोड पर स्थित स्मृति उपवन का नामकरण ''मान्यवर कांशीराम जी स्मृति उपवन'' करने तथा इसका वृहद विकास करने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।	कार्यवाही की जा रही है।
6	राजाजीपुरम से कालीदास मार्ग तक जी0एच0कैनाल पर सड़क निर्मित करने के सम्बन्ध मे ।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।	कार्यवाही की जा रही है।
7	लखनऊ नगर में बहु–विशेषज्ञीय अस्पताल तथा अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेण्टर परियोजनाओं का कियान्वयन पी0पी0 पी0 माडल पर कराने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा महायोजना के प्राविधानों के अनुसार प्रस्तावित स्थल के भू–उपयोग का परीक्षण कर लिया जाये एवं प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल एवं आकार का निर्धारण कर लिया जाये।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जायेगी ।
8	लखनऊ नगर की अवस्थापना विकास, जनसुविधा, सौन्दर्यीकरण व अन्य अर्बन रिजुवनेशन परियोजनाओं का कियान्वयन पब्लिक	प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित किया गया कि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कन्सल्टेंट के चयन की कार्यवाही नियमानुसार की जाये। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट	कार्यवाही की जा रही है ।

	प्राइवेट पार्टनरशिप(पी0पी0पी) माडल पर कियान्वित करने हेतु कन्सल्टेन्ट का चयन करने एवं पी.डी.एस.पी.वी. गठित करने के सम्बन्ध में ।	एस0पी0वी0 बनाने से पूर्व अनुबन्ध आदि पर प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये ।	
9	लखनऊ नगर के सुनियोजित विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2000 में विकासकर्ता कम्पनी/ वास्तुविद्/ नगर नियोजकों द्वारा प्रस्तुत सुझावों के अनुसार कतिपय संशाधनों पर विचार ।	इस सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रकरण में विस्तृत अध्ययन करने तथा सुझाव एवं संस्तुति देने हेतु समिति गठित करने के लिए अधिकृत किया गया। समिति द्वारा एक माह में अपनी संस्तुति प्रस्तुत की जायेगी।	अनुपालन किया जा रहा है ।
10	लखनऊ विकास प्राधिकरणद्वारा आर्थिक स्थिति से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों हेतु निर्मित किये जाने वाले रिहायशी इकाईयों का घनत्व 500 रिहायशी इकाईयों प्रति हेक्टेअर अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित किया गया कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा परीक्षण करके एक सप्ताह में संस्तुति प्रस्तुत की जायेगी।	अनुपालन किया जा रहा है ।
11	ताज रेजीडेन्सी के पीछे पुलिस चौकी के बगल में उपलब्ध दो एकड़ भूमि तथा ग्राम औरंगाबाद खालसा में शहीद पथ के दक्षिण मे उपलब्ध 10बीघा 5 बिस्वा 18बिस्वांसी भूमि	प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।	अनुपालन किया जा रहा है ।

	पार्क एवं खुले क्षेत्र/हरित पट्टी भू–उपयोग में अवस्थित है। पुलिस चौकी के बगल में उपलब्ध दो एकड़ भूमि पर अतिथिगृह का निर्माण किये जाने तथा प्रश्नगत औरंगाबाद खालसा में उपलब्ध भूमि को आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।		
12	डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस चौकी के बगल में अतिथिगृह का निर्माण, डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल परिसर के बाहर रमाबाई अम्बेडकर मैदान एवं उससे सम्बन्धित क्षेत्र का कार्य तथा डा0 भीमराव अम्बेडकर मैदान का लैण्ड स्केप तथा अन्य कार्यो हेतु मेसर्स आर्कीटेक्ट ब्यूरो, नई दिल्ली को कन्सल्टेन्ट के रुप में की गई नियुक्ति की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	अवलोकित किया गया ।	अनुपालन किया गया।
13.	राजाजीपुरम से कालीदास मार्ग तक गाजीउद्दीन हैदर. कैनाल पर प्रस्तावित 60मी0 सड़क की चौड़ाई को 30मी0(कैनाल के	विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।	अनुपालन किया जा रहा है ।

	बायीं ओर) अवशेष 30मी0 चौड़ी पट्टी की रोड कालीदास मार्ग से सदर कासिंग से मवैया तक व्यवसायिक तथा मवैयासे राजाजीपुरम तक आवासीय में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति पर विचार किये जाने के सम्बन्ध में।		
14.	गेमती नगर योजना के विभूति खण्ड में माननीय उच्च न्याायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ, लखनऊ के पक्ष में आवंटित 40 एकड़ भूमि का भू–उपयोग व्यवसायिक से संस्थागत (कार्यालय) में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ओर यह भी निर्णय हुआ कि भूमि के वाणिज्यिक एवं संस्थागत मूल्य के अन्तर की धनराशि की मांग शासन से की जाये ।	अनुपालन किया जा रहा है ।
15.	लखनऊ महायोजना 2021 के अन्तर्गत तैयार किये जा रहे 4 जोनल प्लान्स की प्रगति तथा 3 ओर जोनल प्लान्स तैयार किये जाने हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को नोडल एजेन्सी नामित किये जाने के सम्बन्ध मे।	म्हायोजना 2021 के अन्तर्गत जोनल प्लान तैयार करने हेतु एजेन्सी के चयन के लिए उपाध्यक्ष,लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि जोनल प्लान बनाने हेतु एक समयबद्ध कार्यकम तैयार किया जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि आगामी बैठक से पूर्व जोनल प्लान्स् तैयार कर लिये जायें।	अनुपालन किया जा रहा है ।
16.	श्रीमती ऊषा बजाज पत्नी श्री रणबीर बजाज एवं श्रीमती सुनील बजाज पत्नी श्री प्रदीप बजाज द्वारा भूखण्ड संख्याः बी–940 सेक्टर–ए महानगर,लखनऊ का भू–उपयोग महायोजना 2021 में आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद,	म0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.12.06 के कम में प्रस्ताव पर विचार किया गया। कुल 5 भूखण्डों में से केवल एक भूखण्ड का मानचित्र व्यवसायिक प्रयोजन हेतु है,शेष भूखण्डों के मानचित्र आवासीय प्रयोजन हेतु स्वीकृत हैं। अतः प्रस्ताव के अनुसार भू–उपयोग परिवर्तन स्वीकृत करने का औचित्य नहीं पाया गया।	निर्णयानुसार कार्यवाही की गई ।

	लखनऊ पीठ में दायर याचिका सं0 6553(एम0बी0) / 2006 पर पारित आदेश के सम्बन्ध में।		
17.	बिरला साफ्ट द्वारा आवास बन्धु उत्तर प्रदेश के माध्यम से विकसित इन्टीग्रेटेड अप्लीकेशन साफ्टवेयर पैकेज (आई0ए0एस0पी) को लखनऊ विकास प्राधिकरण में सुचारु रुप से कियान्वित करने हेतु फेसिलिटी मैनेजमेन्ट के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि बिरला साफ्ट द्वारा विकसित पैकेज लागू के होने के उपरान्त पूर्व से आउटसोर्स के आधार पर लगाये गये स्टाफ को चरणबद्ध रुप से कम किया जाये एवं इस हेतु एक कार्य योजना अगली बैठक में प्रस्तुत की जाये ।	वर्तमान में बिरला साफ्ट कम्पनी द्वारा प्राधिकरण में पूर्व से चल रहे सी0एम0सी0 साफ्टवेयर के डेटा माइग्रेशन के कार्य के साथ–2 आई0ए0एस0पी0 साफ्टवेयर में प्राधिकरण की आवश्यकतानुसार संशोधन एवं नई रिपोर्ट बनाये जाने का कार्य प्रगति पर है। उपरोक्तानुसार कार्य पूर्ण हो जाने तथा Live Data पर आई0 ए0एस0पी0 साफ्टवेयर की टेस्टिंग के उपरान्त उपाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में एक समिति बनाते हुए फेसिलिटी मैनेजमेंट पर विचार किया जायेगा।
18.	कानपुर रोड,शारदा नगर, आशियाना, एल्डिको आदि योजनाओं के सीवर डिस्पोजल हेतु सम्पवेल तथा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण हेतु 40एकड़ भूमि निगोशियेशन के आधार पर अर्जित किये जाने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

19.	ग्राम– बरगवॉ, परगना– बिजनौर, जनपद–लखनऊ स्थित खसरा सं0: 685 में निर्मित भवन के समायोजन हेतु ।	सक्षम स्तर पर नियमानुसार विचार किया जाये ।	अनुपालन किया जा रहा है ।
20.	कुमायुँ परिषद, लखनऊ द्वारा उत्तराखण्ड कलाकेन्द्र एवं बहुउद्देशीय भवन के निर्माण हेतु कुमायुँ परिषद को गोमती नगर विस्तार योजना में 500 वर्गमी0 संस्थागत भूमि आवंटन विषयक ।	इस सम्बन्ध में शासनादेश एवं नोएडा द्वारा अपनाई गयी नीति के आधार पर प्राधिकरण द्वारा अपनी नीति बनाई जाये और नीति के अनुसार समस्त लम्बित प्रस्तावों पर विचार किया जाये ।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जायेगी ।
21.	ओसामा तलहा फाउण्डेशन हेतु व्यवसायिक शिक्षण संस्थान आई0टी0आई0, बी0बी0ए0 एवं एम0बी0ए0 को हरदोई रोड योजना के सेक्टर–आई में 2.5 एकड़ भूमि संस्थागत भूमि आवंटन विषयक।	विषय संख्या–20 में लिये गये निर्णय के अनुसार लिया जाये।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

विषयः भूखण्ड संख्या-13-ए, माल एवेन्यू, लखनऊ पर प्रस्तावित "मान्यवर कांशीराम यादगार विश्राम स्थल" मानचित्र को फ्लोटिंग उपयोग के अन्तर्गत विशेष अनुमति से अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में लखनऊ महायोजना-2021 में प्राविधानित समिति की संस्तुति पर विचार-विमर्श।

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा भूखण्ड संख्या-13-ए, माल एवेन्यू, निकट महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ पर मान्यवर कांशीराम यादगार विश्राम स्थल के निर्माण की स्वीकृति हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण में मानचित्र प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत स्थल का भू-उपयेाग लखनऊ महायोजना-2021 के अनुसार आवासीय निर्धारित है। प्रश्नगत क्रिया, जो कि स्मारक की श्रेणी में आती है तथा जोनिंग रेगुलेशन्स में उल्लिखित नही है। यह क्रिया सामुदायिक सुविधाएं, उपयोगिताएं एवं सेवाएं की श्रेणी में आती है, जिसे लखनऊ महायोजना-2021 के अनुसार फ्लोटिंग उपयोग में सक्षम स्तर से विशेष अनुमति से आवासीय भू-उपयोग में अनुमन्य किया जा सकता है।

उक्त प्रकरण पर विचार-विमर्श करने हेतु लखनऊ महायोजना-2021 में प्राविधानित तीन सदस्यों की समिति की बैठक दिनांक 25.10.2007 को आमंत्रित की गयी। उक्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत प्रश्नगत स्थल पर राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा मान्यवर कांशीराम यादगार विश्राम स्थल का प्रस्तावित मानचित्र अनुमन्य किये जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विचार किये जाने की संस्तुति की गयी है। अतः उक्त बैठक का कार्यवृत्त इस प्रस्ताव के साथ संलग्न कर आवश्यक निर्णयार्थ प्रेषित है।

<u>प्रस्तावः</u>

मान्यवर कांशीराम यादगार विश्राम स्थल, जो भूखण्ड संख्या-13-ए, माल एवेन्यू, लखनऊ पर ~~स्थित~~ प्रस्तावित है, हेतु प्रस्तुत मानचित्र पर दिनांक 25.10.2007 को तीन सदस्यीय समिति द्वारा दी गयी संस्तुति विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

डी०डी०एल०एन० शर्मा
मुख्य नगर नियोजक
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

भूखण्ड संख्या-4, साउथ एवेन्यू, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, लखनऊ पर प्रस्तावित मान्यवर कांशीराम स्मृति भवन व भूखण्ड संख्या-13-ए, माल एवेन्यू, लखनऊ पर प्रस्तावित मान्यवर कांशीराम विश्राम स्थल के भवन मानचित्रों के निस्तारण हेतु लखनऊ महायोजना-2021 द्वारा गठित समिति, जिसकी बैठक दिनांक 25.10.2007 को लखनऊ विकास प्राधिकरण गोमती नगर स्थित सभाकक्ष में सम्पन्न हुई, का कार्यवृत्त:-

उपस्थित अधिकारीगण:-

1. श्री किशन सिंह अटोरिया, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ सदस्य
2. श्री शिवानन्द ओझा, अपर आयुक्त, प्रतिनिधि लखनऊ मण्डल, लखनऊ सदस्य
3. श्री राजपाल कौशिक, वास्तुविद नियोजक, प्रतिनिधि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ सदस्य

1. भूखण्ड संख्या-4, साउथ एवेन्यू लालबहादुर शास्त्री मार्ग, लखनऊ पर राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा प्रस्तुत मान्यवर कांशीराम स्मृति भवन का मानचित्र।

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा मान्यवर कांशीराम स्मृति भवन के निर्माण की स्वीकृति हेतु प्राधिकरण में प्रस्तुत मानचित्र को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत स्थल लखनऊ महायोजना-2021 में प्रदर्शित 30 मीटर चौड़े लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर स्थित है तथा इसका भू-उपयेाग लखनऊ महायोजना-2021 के अनुसार कार्यालय निर्धारित है। प्रश्नगत क्रिया जोनिंग रेगुलेशन्स में उल्लिखित नही है, परन्तु यह क्रिया सामुदायिक सुविधाएं, उपयोगिताएं एवं सेवाएं की श्रेणी में आती है, जिसे लखनऊ महायोजना-2021 के अनुसार फ्लोटिंग उपयेाग में सक्षम स्तर से विशेष अनुमति से कार्यालय भू-उपयोग में अनुमन्य किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में अनुमन्य किये जाने के लिए जोनिंग रेगुलेशन्स में कतिपय अपेक्षाएं की गयी है, जिनके सम्बन्ध में समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत प्रश्नगत स्थल पर राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा मान्यवर कांशीराम स्मृति भवन का प्रस्तावित मानचित्र अनुमन्य किये जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विचार किये जाने की संस्तुति की जाती है। प्रस्तुत भवन मानचित्र मे लखनऊ महायोजना-2021, प्राधिकरण में प्रचलित भवन उपविधि तथा अन्य समस्त अपेक्षित प्राविधानों का नियमानुसार परीक्षण प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर से किया जाना होगा।

2. भूखण्ड संख्या-13-ए, माल एवेन्यू, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ पर राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा प्रस्तुत मान्यवर कांशीराम यादगार विश्राम स्थल का भवन मानचित्र।

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा मान्यवर कांशीराम यादगार विश्राम स्थल के निर्माण की स्वीकृति हेतु प्राधिकरण में प्रस्तुत मानचित्र को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत स्थल का भू-उपयेाग लखनऊ महायोजना-2021 के अनुसार आवासीय निर्धारित है। प्रश्नगत क्रिया, जो कि स्मारक की श्रेणी में आती है, जोनिंग रेगुलेशन्स में उल्लिखित नही है, परन्तु यह क्रिया सामुदायिक सुविधाएं, उपयोगिताएं एवं सेवाएं की श्रेणी में आती है, जिसे लखनऊ महायोजना-2021 के अनुसार फ्लोटिंग उपयेाग में सक्षम स्तर से विशेष अनुमति से आवासीय भू-उपयोग में अनुमन्य किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में अनुमन्य किये जाने के लिए जोनिंग रेगुलेशन्स में कतिपय अपेक्षाएं की गयी है, जिनके सम्बन्ध में समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत प्रश्नगत स्थल पर राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा मान्यवर कांशीराम यादगार विश्राम स्थल का प्रस्तावित मानचित्र अनुमन्य किये जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विचार किये जाने की संस्तुति की जाती है। प्रस्तुत स्थल/भवन मानचित्र मे लखनऊ महायोजना-2021, प्राधिकरण में प्रचलित भवन उपविधि तथा अन्य समस्त अपेक्षित प्राविधानों का नियमानुसार परीक्षण प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर से किया जाना होगा।

(राजपाल कौशिक) वास्तुविद नियोजक, प्रतिनिधि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	(शिवानन्द ओझा) अपर आयुक्त प्रतिनिधि लखनऊ मण्डल, लखनऊ	(किशन सिंह अटोरिया) उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या-4, साउथ एवेन्यू, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, लखनऊ पर प्रस्तावित मान्यवर कांशीराम स्मृति भवन व भूखण्ड संख्या-13-ए, माल एवेन्यू, लखनऊ पर प्रस्तावित मान्यवर कांशीराम यादगार विश्राम स्थल के भवन मानचित्रों के निस्तारण हेतु लखनऊ महायोजना-2021 द्वारा गठित समिति, जिसकी बैठक दिनांक 25.10.2007 को लखनऊ विकास प्राधिकरण गोमती नगर स्थित सभाकक्ष में सम्पन्न हुई, मे उपस्थित अधिकारीगण।

क्रम	अधिकारी का नाम/ पदनाम		हस्ताक्षर
1.	श्री किशन सिंह अटोरिया, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ	सदस्य	
2.	श्री शिवानन्द ओझा, अपर आयुक्त, प्रतिनिधि लखनऊ मण्डल, लखनऊ	सदस्य	
3.	श्री राजपाल कौशिक, वास्तुविद नियोजक, प्रतिनिधि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य	

विषय संख्याः 04

विषयः **भूखण्ड संख्या-4, साउथ एवेन्यू, लखनऊ पर प्रस्तावित ''मान्यवर कांशीराम स्मृति भवन'' मानचित्र को फ्लोटिंग उपयोग के अन्तर्गत विशेष अनुमति से अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में लखनऊ महायोजना-2021 में प्राविधानित समिति की संस्तुति पर विचार-विमर्श।**

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा भूखण्ड संख्या-4, साउथ एवेन्यू, लखनऊ पर मान्यवर कांशीराम स्मृति भवन के निर्माण की स्वीकृति हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण में मानचित्र प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग लखनऊ महायोजना-2021 के अनुसार कार्यालय निर्धारित है। प्रश्नगत स्थल लखनऊ महायोजना-2021 में प्रदर्शित 30 मीटर चौड़े लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर स्थित है। प्रश्नगत क्रिया जोनिंग रेगुलेशन्स में उल्लिखित नही है। यह क्रिया सामुदायिक सुविधाएं, उपयोगिताएं एवं सेवाएं की श्रेणी में आती है, जिसे लखनऊ महायोजना-2021 के अनुसार फ्लोटिंग उपयोग में सक्षम स्तर से विशेष अनुमति से कार्यालय भू-उपयोग में अनुमन्य किया जा सकता है।

उक्त प्रकरण पर विचार-विमर्श करने हेतु लखनऊ महायोजना-2021 में प्राविधानित तीन सदस्यों की समिति की बैठक दिनांक 25.10.2007 को आमंत्रित की गयी। उक्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत प्रश्नगत स्थल पर राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा मान्यवर कांशीराम स्मृति भवन का प्रस्तावित मानचित्र अनुमन्य किये जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विचार किये जाने की संस्तुति की गयी है। अतः उक्त बैठक का कार्यवृत्त इस प्रस्ताव के साथ संलग्न कर आवश्यक निर्णयार्थ प्रेषित है।

प्रस्तावः

मान्यवर कांशीराम स्मृति भवन, जो भूखण्ड संख्या-4, साउथ एवेन्यू, लखनऊ पर ~~स्थित~~ प्रस्तावित है, हेतु प्रस्तुत मानचित्र पर दिनांक 25.10.2007 को तीन सदस्यीय समिति द्वारा दी गयी संस्तुति विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

(हस्ताक्षर)

डी०डी०एल०एन० शर्मा
मुख्य नगर नियोजक
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

भूखण्ड संख्या-4, साउथ एवेन्यू, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, लखनऊ पर प्रस्तावित मान्यवर कांशीराम स्मृति भवन व भूखण्ड संख्या-13-ए, माल एवेन्यू, लखनऊ पर प्रस्तावित मान्यवर कांशीराम विश्राम स्थल के भवन मानचित्रों के निस्तारण हेतु लखनऊ महायोजना-2021 द्वारा गठित समिति, जिसकी बैठक दिनांक 25.10.2007 को लखनऊ विकास प्राधिकरण गोमती नगर स्थित सभाकक्ष में सम्पन्न हुई, का कार्यवृत्त:-

उपस्थित अधिकारीगण:-

1.	श्री किशन सिंह अटोरिया, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ	सदस्य
2.	श्री शिवानन्द ओझा, अपर आयुक्त, प्रतिनिधि लखनऊ मण्डल, लखनऊ	सदस्य
3.	श्री राजपाल कौशिक, वास्तुविद नियोजक, प्रतिनिधि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य

1. भूखण्ड संख्या-4, साउथ एवेन्यू लालबहादुर शास्त्री मार्ग, लखनऊ पर राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा प्रस्तुत मान्यवर कांशीराम स्मृति भवन का मानचित्र।

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा मान्यवर कांशीराम स्मृति भवन के निर्माण की स्वीकृति हेतु प्राधिकरण में प्रस्तुत मानचित्र को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत स्थल लखनऊ महायोजना-2021 में प्रदर्शित 30 मीटर चौड़े लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर स्थित है तथा इसका भू-उपयेाग लखनऊ महायोजना-2021 के अनुसार कार्यालय निर्धारित है। प्रश्नगत क्रिया जोनिंग रेगुलेशन्स में उल्लिखित नही है, परन्तु यह क्रिया सामुदायिक सुविधाएं, उपयोगिताएं एवं सेवाएं की श्रेणी में आती है, जिसे लखनऊ महायोजना-2021 के अनुसार फ्लोटिंग उपयेाग में सक्षम स्तर से विशेष अनुमति से कार्यालय भू-उपयोग में अनुमन्य किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में अनुमन्य किये जाने के लिए जोनिंग रेगुलेशन्स में कतिपय अपेक्षाएं की गयी है, जिनके सम्बन्ध में समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत प्रश्नगत स्थल पर राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा मान्यवर कांशीराम स्मृति भवन का प्रस्तावित मानचित्र अनुमन्य किये जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विचार किये जाने की संस्तुति की जाती है। प्रस्तुत भवन मानचित्र मे लखनऊ महायोजना-2021, प्राधिकरण में प्रचलित भवन उपविधि तथा अन्य समस्त अपेक्षित प्राविधानों का नियमानुसार परीक्षण प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर से किया जाना होगा।

2. भूखण्ड संख्या–13–ए, माल एवेन्यू, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ पर राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा प्रस्तुत मान्यवर कांशीराम यादगार विश्राम स्थल का भवन मानचित्र।

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा मान्यवर कांशीराम यादगार विश्राम स्थल के निर्माण की स्वीकृति हेतु प्राधिकरण में प्रस्तुत मानचित्र को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत स्थल का भू-उपयेाग लखनऊ महायोजना–2021 के अनुसार आवासीय निर्धारित है। प्रश्नगत क्रिया, जो कि स्मारक की श्रेणी में आती है, जोनिंग रेगुलेशन्स में उल्लिखित नही है, परन्तु यह क्रिया सामुदायिक सुविधाएं, उपयोगिताएं एवं सेवाएं की श्रेणी में आती है, जिसे लखनऊ महायोजना–2021 के अनुसार फ्लोटिंग उपयेाग में सक्षम स्तर से विशेष अनुमति से आवासीय भू-उपयोग में अनुमन्य किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में अनुमन्य किये जाने के लिए जोनिंग रेगुलेशन्स में कतिपय अपेक्षाएं की गयी है, जिनके सम्बन्ध में समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत प्रश्नगत स्थल पर राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा मान्यवर कांशीराम यादगार विश्राम स्थल का प्रस्तावित मानचित्र अनुमन्य किये जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विचार किये जाने की संस्तुति की जाती है। प्रस्तुत स्थल/भवन मानचित्र मे लखनऊ महायोजना–2021, प्राधिकरण में प्रचलित भवन उपविधि तथा अन्य समस्त अपेक्षित प्राविधानों का नियमानुसार परीक्षण प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर से किया जाना होगा।

(राजपाल कौशिक)
वास्तुविद नियोजक,
प्रतिनिधि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

(शिवानन्द ओझा)
अपर आयुक्त
प्रतिनिधि लखनऊ मण्डल, लखनऊ

(किशन सिंह अटोरिया)
उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या-4, साउथ एवेन्यू, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, लखनऊ पर प्रस्तावित मान्यवर कांशीराम स्मृति भवन व भूखण्ड संख्या-13-ए, माल एवेन्यू, लखनऊ पर प्रस्तावित मान्यवर कांशीराम यादगार विश्राम स्थल के भवन मानचित्रों के निस्तारण हेतु लखनऊ महायोजना-2021 द्वारा गठित समिति, जिसकी बैठक दिनांक 25.10.2007 को लखनऊ विकास प्राधिकरण गोमती नगर स्थित सभाकक्ष में सम्पन्न हुई, मे उपस्थित अधिकारीगण।

क्रम	अधिकारी का नाम/ पदनाम		हस्ताक्षर
1.	श्री किशन सिंह अटोरिया, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ	सदस्य	
2.	श्री शिवानन्द ओझा, अपर आयुक्त, प्रतिनिधि लखनऊ मण्डल, लखनऊ	सदस्य	
3.	श्री राजपाल कौशिक, वास्तुविद नियोजक, प्रतिनिधि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य	

प्रस्तावः— वित्तीय वर्ष 2007—08 के आय—व्यय की समीक्षा

वित्तीय वर्ष 2007—08 में 01 अप्रैल 2007 से 22.10.2007 तक रूप्ये 743.40 करोड़ प्राविधान के सापेक्ष रूप्ये 416.24 करोड़ की आय एवं 656.75 करोड़ प्राविधान के सापेक्ष 328.71 करोड़ का व्यय हुआ है। जबकि गत वर्ष उक्त अवधि में 828.73 करोड प्राविधान के सापेक्ष 512.79 करोड़ की आय एवं 823.50 करोड़ प्राविधान के सापेक्ष 376.90 करोड़ का व्यय हुआ था। आय—व्यय का तुलनात्मक विवरण साथ में संलग्न है।

(महेन्द्र प्रसाद)
वित्त नियंत्रक

वर्ष 2006–07 तथा वर्ष 2007–08 के 22 अक्टूबर तक के आय–व्यय का तुलनात्मक विवरण:

(रु0 लाखों में)

क्रम सं0	मद का नाम	प्रस्तावित 2006–07	वास्तविक 2006–07 (अक्टूबर–06) 22–10–06 तक	प्रस्तावित 2007–08	वास्तविक 2007–08 (अक्टूबर–07) 22–10–07 तक
	आय पक्ष				
1.	पंजीकरण से प्राप्त	21000.00	19709.08	20000.00	1283.91
2.	आवासीय भूखण्ड से प्राप्त	18000.00	11798.42	19000.00	5736.75
3.	व्य0 भूखण्ड / बल्क सेल	25000.00	14205.30	22000.00	9337.74
4.	भवनों / दूकानों / किराये की सम्पत्ति की बिक्री से	3750.00	1999.94	2900.00	1640.46
5.	शमन शुल्क	500.00	132.87	500.00	223.88
6.	लीजरेन्ट / फ्री होल्ड	450.00	301.58	500.00	275.38
7.	विकास शुल्क	60.00	38.28	100.00	27.05
8.	मानचित्र शुल्क	50.00	25.67	55.00	32.69
9.	विविध आय (अर्जित आय)	4630.00	2095.26	3645.00	2042.70
	योग	**73440.00**	**50306.40**	**68700.00**	**20600.56**
10	विविध आय (अनार्जित आय)	9433.00	972.78	5640.00	21023.91
	महायोग	**82873.00**	**51279.18**	**74340.00**	**41624.47**

क्रम सं0	मद का नाम	प्रस्तावित 2006–07	वास्तविक 2006–07	प्रस्तावित 2007–08	वास्तविक 2007–08
	व्यय पक्ष				
1.	भूमि का प्रतिकर	10000.00	2443.18	12500.00	8844.04
2.	विकास कार्य	26221.00	12781.02	24173.00	5549.15
3.	निर्माण कार्य	990.00	297.89	3295.00	439.79
4.	डिपाजिट कार्य	6200.00	3103.32	352.00	6135.45
5.	ऋणों का प्रतिदान	50.00	–	50.00	–
6.	पंजीकरण वापसी	25000.00	10079.74	12500.00	1109.57
7.	अधिष्ठान व्यय	2790.00	1517.40	2860.00	1626.23
8.	विविध व्यय	11099.00	7467.60	9945.00	9166.48
	योग	**82350.00**	**37690.15**	**65675.00**	**32870.71**

2006–07 तथा वर्ष 2007–08 के 22 अक्टूबर तक के प्राप्त विविध आय का विवरण:

(रु0 लाखों में)

क्रम सं0	मद का नाम	2006–07	2007–08
क– अर्जित आय			
1.	सामुदायिक केन्द्र का किराया	36.88	20.43
2.	पार्को से आय	28.94	34.40
3.	विनियोगों पर व्याज/अन्य व्याज	754.62	1098.95
4.	लेवी चार्जेज	24.93	91.03
5.	मल्वा चार्जेज	26.10	30.20
6.	सुपरवीजन चार्जेज	135.28	30.29
7.	वाटर/सीवर चार्जेज	35.99	33.15
8.	विभिन्न प्रपत्रों की बिक्री	21.73	7.98
9.	भवनों/दुकानों का किराया	29.18	7.59
10	हस्तान्तरण शुल्क	41.27	103.64
11	लाईसेन्स शुल्क	424.07	0.01
12	विविध आय	529.65	265.56
13	पेनाल्टी/रिफन्ड कटौती से	6.62	2.91
14	स्टाम्प ड्यूटी से आय	—	316.56
	योग	2095.26	2042.70

ख– अनार्जित आय			
1.	प्रतिभूति (ठेकेदारों से)	262.04	8.64
2.	भवन/वाहन स्टोर वापसी	600.01	379.64
3.	शासन से अनुदान	—	16867.06
4.	निरस्त चेकें/अन्य आय	109.48	246.12
5.	विनियोगो का आहरण	—	2853.45
6.	डिपॉजिट कार्य	1.25	669.00
	योग	972.78	21023.91

महायोग (क+ख)	3068.04	23066.61

विषय संख्या: 06

पृष्ठ संख्या: 27

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण के संस्थागत भूखण्डों के आवन्टन की प्रक्रिया के निर्धारण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श एवं निर्णय।

विषय संख्या: 07

पृष्ठ संख्या: 28

विषय: वर्ष 1980 से लखनऊ विकास प्राधिकरण में लम्बित पुराने पंजीकरणों पर चर्चा एवं उनके सम्बन्ध में निर्णय पर विचार ।

विषयः लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अर्जित की जा रही भूमि की प्रगति के सम्बन्ध में समीक्षा।

विषय संख्याः 09 पृष्ठ संख्याः 30

विषयः लखनऊ विकास प्राधिकरण में चल रहे कम्प्यूटराइजेशन के कार्य की प्रगति की समीक्षा ।

विषय संख्याः 10

पृष्ठ संख्याः 31

विषयः लखनऊ विकास प्राधिकरण में जन–शिकायतों के निस्तारण एवं प्रकिया पर विचार ।

4881/S
31-10-07

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ

पत्रांक : 855 /मु0अ0/2007-08 दिनांक : 30.10.2007

::आदेश::

उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदन दिनांक 29.10.07 के अनुक्रम में निर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में विभागीय पद्धति से प्रारम्भ कराये गये कार्यो में व्यवहारिक रूप से आने वाली कठिनाइयों/समस्याओं के दृष्टिगत लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 29.10.07 को लिये गये निर्णय के अनुपालन में भवनों के प्लिन्थ लेवल तक का कार्य विभागीय पद्धति से पूर्ण कराते हुये सुपरस्ट्रक्चर से सम्बन्धित समस्त कार्यो की अल्पकालीन निविदा आमंत्रित करके कार्य कराये जायें। जिन भवनों का अभी निर्माण प्रारम्भ नहीं हुआ है उन भवनों की फाउन्डेशन तथा सुपरस्ट्रक्चर के समस्त कार्य हेतु निविदा आमंत्रित करके कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

(त्रिलोकी नाथ)
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि :-

1. उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ।
2. सचिव/अपर सचिव को सूचनार्थ।
3. वित्त नियंत्रक को सूचनार्थ।
4. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं को अनुपालनार्थ।
5. स्टाफ आफीसर-मुख्य अभियन्ता।
6. गार्ड फाइल।

29.10.07
त्रिलोकी नाथ)
मुख्य अभियन्ता

PA

31-10-07

(... सिंह)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

D:\...\105\CE (AP)\Letters ...0192.doc

प्रस्ताव सं० 6 की टिप्पणी

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सामाजिक सुविधाये, उपयोगितायें एवं सेवायें (संस्थागत) के अन्तर्गत आवंटित किये जाने वाले भूखण्डों के संबंध में विवरण

1- उपरोक्त भू-उपयोग के अन्तर्गत नियोजित क्षेत्रफल को प्राधिकरण की योजनाओं की अर्थ-विवेचना तैयार करते समय अर्थ-विवेचना में नर्सरी-प्राइमरी एवं हाईस्कूल की भूमि के क्षेत्रफल को सेक्टर दर की 40 प्रतिशत की दर से एवं शेष भूमि को 50 प्रतिशत की दर से प्राविधानित किया जाता है।

2- जिन प्रयोजनों के संबंध में शासनादेश उपलब्ध है उनके संबंध में शासनादेश के अनुरूप कार्यवाही की जाती है जैसेकि शासनादेश संख्या-1704/9-आ-1-96, दिनांक 19.4.1996 के अनुरूप नर्सरी एवं प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल व हाई स्कूल, इण्टर कालेज, डिग्री कालेज/पोस्ट ग्रेजुएट/मेनेजमेन्ट इंस्टीटयूट ट्रेनिग इंस्टीट्यूट।, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, खेलकूद के लिये छोटे आकार के मैदार हेतु भूमि जिस पर कोई निर्माण नही है तथा गोल्फ कोर्स, घुडसवारी मैदान आदि के लिये ऐसे खेलकूद के बडे मैदान, जल कीडा, पानी की अन्य परियोजनाओं जिनमें निर्मित क्षेत्र 2 प्रतिशत से अधिक न हो।, खेलकूद के लिये छोडी गई भूमि पर खेलकूद सुविधा के लिये किसी भवन निर्माण की भूमि के लिये, शहर की घनी बस्ती के बाहर हालिडे रिसार्ट, टूरिस्ट रिसार्ट हेतु।

3- विकास प्राधिकरण द्वारा बारात घर, कम्यूनिटी सेन्टर, पेट्रोल पम्प व डीजल पम्प, 20 मेगावाट या उससे ऊपर के विद्युत उत्पादन संयन्त्रों की परियोजनायें जो राज्य के ऊर्जा विभाग द्वारा अनुमोदित हों, हेतु भूमि निष्तारण की व्यवस्था शासनादेश संख्या-434/9-आ-1-96-190डीए/95, दिनांक 18.9.1996 द्वारा की गयी थी। किन्तु बाद मे संशोधित शासनादेश संख्या-2844/आठ-1-96-190डीए/95 दिनांक 3जून,2005 के माध्यम से बारात घर, पेट्रोल पम्प आदि हेतु निष्तारण व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। तदनुसार ही प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जाती रही है।

4- प्राधिकरण में समय-समय पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं तथा अन्य प्रकार की संस्थाओं द्वारा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं मे संस्थागत/सामुदायिक सुविधाओं हेतु आरक्षित भूमि को विभिन्न संस्थाओं को आवंटित किये जाने के संबंध में संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के परीक्षण हेतु उपाध्यक्ष महोदय के आदेश संख्या-1212/कैम्प, दिनांक 20.9.2001 को समिति का गठन किया गया था। तदनुसार तत्समय आवंटन संबंधी कार्यवाही की गयी है।

5- शासनादेशों में आच्छादित प्रयोजनों के अतिरिक्त यदि किसी प्रयोजन हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो:-

1- उस पर नियोजन विभाग से सहमति प्राप्त करते हुये भूमि का चयन किया जाता है तथा योजना की इक्नामिक के अनुसार मूल्यांकन प्रस्ताव तैयार कर सचिव/अपर सचिव/उपाध्यक्ष की सहमति से प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम,1773 की धारा-18-(1) एवं (2) के अन्तर्गत निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

2- इस प्रकार के प्रकरणों के लिये दिनांक 19.10.2007को प्राधिकरण की बैठक में निर्णय लिया गया है कि--''इस संबंध में शासनादेश एवं नोएडा द्वारा अपनायी गई नीति के आधार पर प्राधिकरण द्वारा अपनी नीति बनाई जाये और नीति के अनुसार समस्त लम्बित प्रस्तावों पर विचार किया जाये।'' इस हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

6-- योजना के विकास एवं रख-रखाव व कानूनी व्यवस्था आदि हेतु सेवायें जैसेकि-पुलिस थाना, फायर स्टेशन, सब-स्टेशन एवं शासकीय प्रयोजन हेतु भूमि का प्रस्ताव आरक्षित मूल्य के अनुसार उपाध्यक्ष महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर सीधे प्रेषित किया जाता है।

1704/9-आ-1-96 दिनांक-19.4.96
संलग्नक-1

प्रेषक,

श्री अखण्ड प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

पृष्ठ संख्या : ६७

सेवा में,

(1) उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश ।

(2) आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ ।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 19 अप्रैल-1996

विषय : विकास प्राधिकरण एवं उ0 प्र0 आवास एवं विकास-परिषद की योजनाओं में विद्यालयों/शैक्षिक संस्थाओं, खेलकूद मैदान एवं हॉलिडे रिसोर्ट/ टूरिस्ट रिसोर्ट के लिए रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1206/9-आ-1-1996, दिनांक 18.3.1996, संख्या-1206(1)/9-आ-1-1996, दिनांक 18.3.1996, संख्या-1337/9-आ-1-1996, दिनांक 18.3.1996 तथा संख्या-1430/9-आ-1-1996, दिनांक 27.3.1996 के द्वारा उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित कालोनियों में विद्यालयों/शैक्षिक संस्थाओं, खेलकूद के मैदान एवं हॉलिडे रिसोर्ट आदि के लिए रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नीति निर्धारित की गयी है। उक्त शासनादेशों में की गयी व्यवस्थाओं को एकीकृत कर कतिपय नवीन व्यवस्था सहित आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरणों की योजनाओं में निम्नलिखित रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराये जाने का

....../2/

शासन द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है :-

क्र०सं०	प्रयोजन	भूमि का क्षेत्र	दर
1	2	3	4
1- 2-	नर्सरी एवं प्राइमरी स्कूल हेतु जूनियर हाई स्कूल व हाई-स्कूल।	एक एकड़ मान्यता देने वाले प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम भूमि।	सेक्टर दर का 40%
3- 4-	इण्टर कालेज डिग्री कालेज/पोस्ट ग्रेजुएट/मैनेजमेन्ट इंस्टीट्यूट/ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट।	पाँच एकड़ पाँच एकड़ अथवा मान्यता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम भूमि।	50%
5-	इंजीनियरिंग कालेज	मान्यता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम भूमि (वर्तमान में 7 हेक्टेयर)	50%
6-	मेडिकल कालेज	मान्यता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम भूमि (वर्तमान में 25 हेक्टेयर)	
7-	खेलकूद के लिये छोटे आकार के मैदान हेतु भूमि जिस पर कोई निर्माण नहीं होना है तथा गोल्फ-कोर्स, घुड़सवारी मैदान आदि के लिए ऐसे खेलकूद के बड़े मैदान, जल क्रीड़ा, पानी की अन्य परियोजनाएं जिसमें निर्मित क्षेत्र 2 प्रतिशत से अधिक न हो।		सेक्टर दर का 2 प्रतिशत वार्षिक लाइसेन्स शुल्क के आधार पर।
8-	खेलकूद के लिए छोड़ी गई भूमि पर खेलकूद सुविधा के लिए किसी भवन निर्माण की भूमि के लिए।		सेक्टर दर का 50%

....../3/

1	2	3	4
9-	शहर की घनी बस्ती के बाहर हालिडे रिसार्ट, टूरिस्ट रिसार्ट हेतु ।	पाँच एकड़	सेक्टर दर का 50%

(क्रमांक 9 पर अंकित प्रयोजन के लिए पाँच एकड़ भूमि सीमा से अधिक भूमि की माँग किये जाने पर भूमि आवंटन के सम्बन्ध में निर्णय प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा ।)

2- उपरोक्त के अतिरिक्त जूनियर हाई स्कूल के खेल के मैदान के लिए 2.5 एकड़ तथा इण्टरमीडिएट, डिग्री कालेज व पोस्ट ग्रेजुएट कालेज के खेल के मैदान के लिये 5.00 एकड़ भूमि अलग से उक्त शैक्षिक संस्थाओं के सम्मुख अंकित दरों पर उपलब्ध कराई जायेगी ।

3- उक्त में विद्यालयों/शैक्षिक संस्थाओं की भूमि के मूल्य के अदायगी की शर्तें निम्नवत् होंगी :-

1. कुल मूल्य का 25 प्रतिशत आवंटन के समय ।
2. अवशेष 75% धनराशि पाँच सालाना किश्तों में 21 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर। निर्धारित समय में भुगतान करने पर ब्याज में 3.5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी ।

4- हालिडे रिसार्ट, टूरिस्ट रिसार्ट होटल के लिए भूमि के मूल्य की अदायगी की शर्तें संबंधित अभिकरण द्वारा अपने स्तर से निर्धारित की जायेगी।

5- अतः कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(अखण्ड प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या- /8(1)/9-आ-1-96, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) आयुक्त/अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
(2) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश ।
(3) आवास अनुभाग 2/3

आज्ञा से,
([illegible] नन्दन)
संयुक्त सचिव।

[illegible] जी को प्रेषित

संख्या 4341/9-आ-1-96-190-डी0ए0/95

प्रेषक,

श्री अखण्ड प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक 18 सितम्बर, 1996

महोदय,

शासनादेश संख्या 1206/9-आ-1-96 दिनांक 18 मार्च, 1996 एवं शासनादेश संख्या 1430/9-आ-1-96 दिनांक 27, मार्च, 1996 द्वारा विद्यालयों, शैक्षिक संस्थाओं आदि की स्थापना के लिए घटी दर पर भूखण्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु भी आवासीय दर के 50 प्रतिशत पर भूमि आवंटित करने की व्यवस्था की जाये। भूखण्ड के आकार के विषय में प्राधिकरण प्रस्तावित प्रोजेक्ट को देखते हुए अपने विवेकानुसार निर्णय लेंगे।

1. बारात घर
2. कम्यूनिटी सेन्टर
3. पेट्रोल पम्प व डीजल पम्प
4. 20 मेगावाट या उससे ऊपर के विद्युत उत्पादन संयन्त्रों की परियोजनायें जो राज्य के ऊर्जा विभाग द्वारा अनुमोदित हों।

शिक्षण संस्थाओं का स्वरूप उसकी स्थापना और औचित्य का एक आवश्यक पहलू है। जहां पर नर्सरी स्कूल स्थापित करने का औचित्य है, वहां पर इण्टरमीडिएट कालेज नहीं बनने चाहिए। सामान्यतः नई विकसित कालोनियों में प्राइमरी स्कूल या नर्सरी स्कूल हेतु भूमि की व्यवस्था की जाती है परन्तु बाद में विद्यालयों के प्रबन्धक इसे उच्चीकृत कर हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट कालेज बनाने का प्रयास करते हैं जिससे अपर्याप्त भूखण्ड में

-60-

(18D)

विद्यालय बन जाते हैं और जहां एक तरफ कालोनी का वातावरण प्रभावित होता है, वहीं दूसरी तरफ छात्रों का भी अहित होता है।

इसलिए उपरोक्त शासनादेशों के अन्तर्गत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटित करने के पहले इस आशय का लिखित अनुबन्ध कराना उचित होगा कि भूखण्ड का आवंटन जिस उद्देश्य एवं प्रयोजन के लिए किया गया है, उसके अतिरिक्त उसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। उदाहरण के लिए नर्सरी स्कूल या प्राइमरी स्कूल के लिए दिये गये भूखण्ड का उपयोग हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट कालेज या किसी अन्य संस्था की स्थापना हेतु नहीं किया जा सकेगा। उल्लंघन की दशा में लीज को निरस्त करने तथा पुर्नप्रवेश करने का प्राविधान रखा जाये और साथ ही भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के दर पर रिकवरी की व्यवस्था भी की जाये। किसी भी रियायती दर पर भूखण्ड के अनुबन्ध में यह स्पष्ट प्राविधान होना चाहिए कि जिस उद्देश्य और संरचना के लिए भूखण्ड आवंटित किया जा रहा है, उसके उद्देश्य और संरचना में भविष्य में किसी परिवर्तन का प्रस्ताव हो तो आवंटी द्वारा आवंटन प्राप्त करने के पूर्व ही लिखित रूप में घोषित करना होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय

(अखण्ड प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव।

674/क्रो
17-6-05

प्राप्ति सं. 99/आवास/05
दिनांक 21.06.05

कार्यालय, ल० वि० प्रा०
संख्या 245/आवास
दिनांक 22.6.05

संख्या-2644/आठ-1-96-190डी०ए०/95

जे. एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1— आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2— उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3— अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 02 जून, 2005

विषयः बारात घर, कम्युनिटी सेन्टर, पेट्रोल एवं डीजल पम्प के भूखण्डों की दरों के पुनरीक्षण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : 4346/9-आ-1-96-190 डी०ए०/95, दिनांक 18 सितम्बर, 1996 के द्वारा बारात घर, कम्युनिटी सेन्टर, पेट्रोल पम्प व डीजल पम्प तथा 20 मेगावाट या इससे ऊपर के विद्युत उत्पादन संयंत्रों की परियोजनाएं जो राज्य के ऊर्जा विभाग द्वारा अनुमोदित हों, के लिए आवासीय दर के 50 प्रतिशत पर भूमि आवंटित करने की व्यवस्था की गयी थी, के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश को अतिक्रमित करते हुए जोनिंग रेगुलेशन्स के प्राविधानों के दृष्टिगत बारात घर, कम्युनिटी सेन्टर, पेट्रोल पम्प व डीजल पम्प हेतु आरक्षित भूखण्डों की दरें निम्नवत पुनरीक्षित किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र० सं०	प्रयोजन	जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार भू-उपयोग	आरक्षित भूमि दर
1	2	3	4
1.	बारात घर	सार्व एवं अर्द्ध सार्व सुविधाएं	आवासीय दर
2.	कम्युनिटी सेन्टर	सार्व एवं अर्द्ध सार्व सुविधाएं	आवासीय दर
3.	पेट्रोल पम्प व डीजल पम्प	व्यवसायिक	आवासीय दर का दो गुना

2- उपरोक्त सभी क्रियायें चूँकि व्यवसायिक प्रकृति की हैं, अतः इन क्रियाओं हेतु आरक्षित भूखण्डों का निस्तारण उक्त तालिका के कालम-4 में दर्शायी गई दरों को "न्यूनतम आरक्षित दर" निर्धारित करते हुए नीलामी के माध्यम से किया जायेगा।

3- पट्रोल / डीजल पम्प के लिए आरक्षित भूखण्डों का निस्तारण तेल कम्पनियों अथवा उनके अधिकृत लाईसेन्स धारकों के मध्य नीलामी [illegible] तथा बारात घर एवं कम्युनिटी सेन्टर के भूखण्डों का निस्तारण सार्वजनिक नीलामी द्वारा किया जायेगा।

4- विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापना हेतु चूँकि भूमि बिना आंतरिक विकास कार्य किए हुए ही बल्क सेल के रूप में आवंटित की जाती है, फलस्वरूप "बिक्री योग्य भूमि का क्षेत्रफल" पूर्णतः विकसित भूमि के सापेक्ष लगभग 20 से 25 प्रतिशत अधिक होता है। अतः 20 मेगावाट या इससे ऊपर के विद्युत उत्पादन के संयंत्रों की परियोजनाएं जो राज्य की ऊर्जा विभाग द्वारा अनुमोदित हों, के स्थापना हेतु आवासीय दर के 50 प्रतिशत दर पर भूमि आवंटन की व्यवस्था पूर्ववत लागू रहेगी।

5- उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा।

भवदीय,

जे. एस. मिश्र
सचिव

संख्या-2844(1)/आठ-1-05-190डीए/95तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित --

1- अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त [illegible] सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु।
4- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0।
5- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर भारतीय सहकारी आवास संघ, उ0प्र0।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रामकृष्ण प्रसाद)
विशेष सचिव

MAUPTA-GO

कार्यालय उपाध्यक्ष,

विकास प्राधिकरण लखनऊ

(7)

1212/CTP/Cell दि. 20.9.01

आदेश

\- - -

प्राधिकरण में समय समय पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं तथा अन्य प्रकार की संस्थाओं द्वारा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु नजूल सेल अनुभाग अथवा सम्पत्ति अनुभाग में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं । संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों में सामान्यतः भूमि का क्षेत्रफल दिया जाता है । आवेदन पत्र के साथ संस्था के कार्य कलापों / योजना वित्तीय संसाधन एवं फेजिंग इत्यादि के सम्बन्ध में कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न नहीं की जाती है । अतः संस्था द्वारा वांछित भूमि के उपयोग एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकरण स्तर से भूमि की मात्रा इत्यादि का आँकलन किया जाना संभव नहीं हो पाता है तथा यह भी ज्ञात नहीं हो पाता है कि संस्था द्वारा जो भूमि की मात्रा आवेदित की गई है वह भूमि के अनुकूलतम उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए उचित है अथवा नहीं । इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की संस्थाओं को उपयोग के आधार पर विभिन्न उपयोगों हेतु आरक्षित भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में कोई प्रक्रिया निर्धारित न होने के कारण यह आशंका बनी रहती है कि जिस संस्था को भूमि आवंटित की जा रही है, उसके द्वारा भूमि का उपयोग अन्यथा तो नहीं किया जायेगा । अतः प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में संस्थागत/सामुदायिक सुविधाओं हेतु आरक्षित भूमि को विभिन्न संस्थाओं को आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के परीक्षण हेतु निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है :

१: सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण, - अध्यक्ष,

२: मुख्य नगर नियोजक
लखनऊ विकास प्राधिकरण, - सदस्य,

३. सम्बन्धित योजना के प्रभारी अधि०
सम्पत्ति - सदस्य,

४. लागत एवं वित्तीय परामर्शदाता,
लखनऊ विकास प्राधिकरण, - सदस्य /संयोजक,

उपर्युक्त समिति द्वारा आवंटन प्रक्रिया निर्धारित करते हुए संस्था द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र एवं विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट इत्यादि का परीक्षण कर उसके कार्य कलापों को / दृष्टिगत रखते हुए

क्रमशः...

किस उपयोग के अन्तर्गत किस योजना में कितनी भूमि आवंटित की जानी है, के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा तत्पश्चात् उक्त भूमि को नियोजन अनुभाग के तलपट मानचित्र पर चिन्हित किया जायेगा । ऐसी संस्थाये जिनके लिये भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूर्व में शासन/प्राधिकरण द्वारा निर्धारित है, इस आदेश से प्रभावित नहीं होगी ।

(दिवाकर त्रिपाठी)
उपाध्यक्ष,

प्रतिलिपिः समस्त सम्बन्धित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,

उ पा ध्य क्ष,

CHAPTER VI

ACQUISITION AND DISPOSAL OF LAND

17. Compulsory acquisition of land.—If in the opinion of the State Government, any land is required for the purpose of development, or for any other purpose, under this Act the State Government may acquire such land under the provisions of the Land Acquisition Act, 1894:

Provided that any person from whom any land is so acquired may after the expiration of a period of five years from the date of such acquisition apply to the State Government for restoration of that land to him on the ground that the land has not been utilized within the period for the purpose for which it was acquired, and if the State Government is satisfied to that effect it shall order restoration of the land to him on re-payment of the charges which were incurred in connection with the acquisition together with interest at the rate of twelve per cent per annum and such development charges, if any, as may have been incurred after acquisition.

(2) Where any land has been acquired by the State Government, that Government may, after it has taken possession of the land transfer the land to the Authority or any local authority for the purpose for which the land has been acquired on payment by Authority or the local Authority of the compensation awarded under that Act and of the charges incurred by the Government in connection with the acquisition.

18. Disposal of land by the Authority or the local Authority concerned.—(1) Subject to any directions given by the State Government in this behalf, the Authority or, as the case may be, the local Authority concerned may dispose of—

(*a*) any land acquired by the State Government and transferred to it, without undertaking or carrying out any development thereon; or

(*b*) any such land after undertaking or carrying out such development as it thinks fit,

to such persons, in such manner and subject to such terms and conditions as it considers expedient for securing the development of the development area according to plan.

(2) Nothing in this Act shall be construed as enabling the Authority or the local Authority concerned to dispose of land by way of gift, [25][* * *] but subject thereto, references in this Act, to the disposal of land shall be construed as references to the disposal thereof in any manner, whether by way of sale, exchange or lease or by the creation of any easement, right or privilege or otherwise.

[26][(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the Authority or the local Authority concerned may create a mortgage or charge over such land (including any building thereon) in favour of the Life Insurance Corporation of India, the Housing and Urban Development Corporation, or a banking company as defined in the Uttar Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1972 or any other financial institution approved by general or special order in this behalf by the State Government.]

25. *Omitted* by S. 5(*i*) of U.P. Act 19 of 1976.
26. *Ins.* by S. 5(*ii*) *ibid.*

प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दि० 29/9/2007 का कार्यवृत्त

विषय संख्या :17 — बिरला सॉफ्ट द्वारा आवास बन्धु उत्तर प्रदेश के माध्यम से विकसित इन्टीग्रेटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज (आई०ए०एस०पी०) को लखनऊ विकास प्राधिकरण में सुचारु रूप से क्रियान्वित करने हेतु फैसिलिटी मैनेजमेन्ट के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि बिरला सॉफ्ट द्वारा विकसित पैकेज लागू होने के उपरान्त पूर्व से आउटसोर्स के आधार पर लगाये गये स्टाफ को चरणबद्ध रूप से कम किया जाये एवं इस हेतु एक कार्य योजना अगली बैठक में प्रस्तुत की जाये।

विषय संख्या :18 — कानपुर रोड, शारदा नगर, आशियाना, एल्डिको आदि योजनाओं के सीवर डिस्पोजल हेतु सम्पवेल तथा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण हेतु 40 एकड़ भूमि निगोशियेशन के आधार पर अर्जित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या :19 — ग्राम-बरगवां, परगना-बिजनौर, जनपद लखनऊ, स्थित खसरा संख्या-585 में निर्मित भवन के समायोजन हेतु।

निर्णय : सक्षम स्तर पर नियमानुसार विचार किया जाय।

विषय संख्या :20 — कुमाँयु परिषद, लखनऊ द्वारा उत्तराखण्ड कलाकेन्द्र एवं बहु- उद्देशीय भवन के निर्माण हेतु कुमायूं परिषद को गोमती नगर विस्तार योजना में 500 वर्गमीटर संस्थागत भूमि आवंटन विषयक।

निर्णय : इस सम्बन्ध में शासनादेश एवं नोएडा द्वारा अपनाई गई नीति के आधार पर प्राधिकरण द्वारा अपनी नीति बनाई जाये और नीति के अनुसार समस्त लम्बित प्रस्तावों पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव सं० 7० की टिप्पणी

लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में लम्बित पंजीकरणों के सम्बन्ध में चर्चा:

लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में समय-समय पर आवंटन हेतु पंजीकरण खोलकर आवेदन पत्र प्राप्त किये जाते रहे है जिसकों योजनाओं में उपलब्ध सृजित सम्पत्तियों में से लाटरी द्वारा आवंटन किया जाता रहा है। आवंटन के पश्चात भी अधिकतर असफल आवेदकों द्वारा अपनी जमा धनराशि वापस नही प्राप्त की जाती थी जिस कारण प्राधिकरण के पास आवेदकों की धनराशि लम्बित थी और यह आवेदक समय समय पर विभिन्न फोरमों के माध्यमों से सम्पत्ति आवंटन की मॉग लम्बित पंजीकरणों के सापेक्ष उठाते रहते थे। जिसके क्रम में सम्यक विचारोंपरान्त प्राधिकरण में उच्चस्तर से निर्णय लिया गया कि इन लम्बित पंजीकरणों को निष्क्रिय कर लम्बित पंजीकरणों की हुए धनराशि वापस कर दी जाय। जिसकी सार्वजनिक सूचना भी दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 9 सितम्बर 2005 एवं 28 मई 2006 को प्रकाशित करायी गयी साथ ही प्राधिकरण की वेबसाइट के माध्यम से भी इसका प्रचार-प्रसार कियां गया। उक्त निर्णय के उपरान्त 11190 पंजीकरणों की धनराशि वापस की जा चुकी है। विगत 3 वर्षो में जो भी योजनाएं प्राधिकरण द्वारा प्रारम्भ की गयी उसमें प्राप्त आवेदन पत्रों पर उपलब्ध सम्पत्तियों में लाटरी द्वारा आवंटन किया गया तथा असफल 40031 आवेदकों की पंजीकरण धनराशि बैंकों के माध्यम से चैंक द्वारा आवेदकों को वापस करा दी गयी है। वर्तमान में भी उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार लगभग 3501 पंजीकरण प्राधिकरण स्तर पर लम्बित है, जिसमें ट्रान्सपोर्ट नगर के 803 पंजीकरण के मध्य दिनांक 2/11/2007 को लाटरी प्रस्तावित है असफल आवेदको को लाटरी के बाद तत्काल पंजीकरण धनराशि संबंधित बैंको के माध्यम से चेक द्वारा वापस कर दी जायेगी। हरदोई रोड योजना के लगभग 1590 पंजीकरण लम्बित हैं जिनकी अभी लाटरी नहीं हो पाई है, लाटरी के पश्चात असफल आवेदको को पंजीकरण धनराशि वापस कर दी जायेगी। शेष 1108 आवेदकों के आवेदन करने पर वरीयता के आधार पर पंजीकरण धनराशि वापस की जा रही है।

प्रस्ताव सं० १ की टिप्पणी

बिड़ला साफ्ट द्वारा तैयार किये गये आई०ए०एस०पी० साफ्टवेअर के इम्प्लीमेन्टेशन की प्रगति।

प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरण को सिंगल अम्ब्रेला में लाने के उद्देश्य से आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आवास बन्धु के देखरेख में बिड़ला साफ्ट से आई०ए०एस०पी० Intrigrated Application Software Packege दो–तीन वर्ष पूर्व बनवाया गया था।

उपरोक्त साफ्टवेअर का उपयोग प्राधिकरण में किये जाने का निर्णय अगस्त 2007 में लेते हुए इसे 30 सितम्बर, 2007 तक प्राधिकरण में क्रियान्वित किये जाने का लक्ष्य रखा गया था।

उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण में पूर्व सी०एम०सी० (कम्प्यूटर मेन्टीनेन्श कारपोरेशन आफ इन्डिया–भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा तैयार पैकेज पर कार्य किया जा रहा था। अतः आई०ए०एस०पी० साफ्टवेअर पर कार्य करने के लिए प्रथम चरण पूर्व से उपलब्ध डेटा को आई०ए०एस०पी० साफ्टवेअर पर माइग्रेशन का कार्य प्रारम्भ किया गया तथा इसके साथ–साथ प्राधिकरण कर्मचारियों के प्रशिक्षण का कार्य भी जारी रखा गया। बिड़ला साफ्ट की अनुशंसा के अनुसार आवश्यक हार्डवेअर स्थापित करा दिया गया है। नेटवर्किंग का आदेश यू०पी० डेस्को को दिया जा चुका है। बिड़ला साफ्ट द्वारा पी०आई०एस०(Personal Information System), Pay Roll का आंशिक डेटा, तथा सम्पत्ति का आंशिक डेटा माइग्रेट किया जा चुका है। शेष डेटा माइग्रेशन का कार्य प्रगति पर है। कर्मचारियों के प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न माड्यूल में आवश्यकतानुसार आंशिक संशोधन किये जाने आवश्यक पाये गये हैं, जिन्हें बिड़ला साफट द्वारा आई०ए०एस०पी० साफ्टवेअर में कस्टमाइजेशन के दौरान किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार समस्त पुराने डेटा का नये साफ्टवेअर पर माइग्रेशन तथा साफ्टवेअर के कस्टमाइजेशन का कार्य पूर्ण होने एवं लाइव डेटा पर विभिन्न माड्यूल की सन्तोषजनक टेस्टिंग के उपरान्त फैसिलटी मैनेजमेन्ट बिड़ला साफ्ट कम्पनी को दिये जाने पर विचार किया जायेगा।

Memo

प्रस्ताव सं० 10 की टिप्पणी

<u>जन शिकायतों के निस्तारण के सम्बन्ध में।</u>

लखनऊ विकास प्राधिकरण में जन शिकायतें, जन शिकायत अनुभाग में प्राप्त होती है, जो जन शिकायत रजिस्टर में दर्ज होकर सम्बन्धित विभागों/अनुभागों में भेजी जाती है, सम्बन्धित अनुभाग/विभाग प्राप्त जन शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करके सम्बन्धित शिकायतकर्ता को उसकी सूचना भेज देता है। इसके अतिरिक्त निदान योजना के अन्तर्गत जो आवंटी एवं आगन्तुक प्राधिकरण में उपस्थित होते है, उन्हें निदान योजना में लगे कर्मचारियों द्वारा उनकी समस्याओं को सुनकर तथा सम्बन्धित से उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क करके आगन्तुकों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण कराते है। निदान योजना में लगे कर्मचारी प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे तक आगन्तुकों की समस्याओं की निस्तारण हेतु प्रतिदिन प्राधिकरण भवन स्थित भूतल कामन हाल में उपलब्ध रहते है। निदान योजना जून 2007 से प्रारम्भ हुई है, जिसका आगन्तुकों/आवंटियों को पूरा लाभ मिल रहा है। इसके अतिरिक्त प्रातः 10.00 बजे से मध्यान्ह 12.00 बजे तक उपाध्यक्ष कैम्प में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी दिवस अधिकारी के रूप में बैठकर जन शिकायतों का निस्तारण करते है एवं उसका अनुश्रवण करते है, जो जन शिकायत रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्राप्त होती है तथा शासन स्तर से ~~प्राप्त~~ जन शिकायतें प्राप्त होती है, उन्हें सचिव एवं उपाध्यक्ष कैम्प/जन शिकायत रजिस्टर में दर्ज कर सम्बन्धित विभागों में कार्यवाही के लिए भेजा जाता है एवं उन शिकायतों का अनुश्रवण किया जाता है। इसके अतिरिक्त सचिव एवं उपाध्यक्ष स्तर पर सीधे प्राप्त होने वाली शिकायतों का भी सचिव एवं उपाध्यक्ष स्तर से भी अनुश्रवण किया जाता है। विगत माह में उक्त प्रक्रिया से जन शिकायतों के निस्तारण में अपेक्षित सफलता मिली है और जन शिकायतों को त्वरित निस्तारण हुआ है।

विषय संख्या अनु० विभाग सं० 2 पृष्ठ संख्या

विषयः जी.एच. कैनाल सड़क परियोजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में लालबहादुर शास्त्री मार्ग से सदर तक नाले को कवर करने, चार लेन की सड़क निर्माण तथा अन्य विकास कार्य।

राजाजीपुरम डी–ब्लाक से कालीदास मार्ग तक जी.एच कैनाल के ऊपर सड़क निर्मित करने हेतु राइट्स द्वारा वर्ष 1998 में फिजिबिलिटी स्टडी की गई थी, उसके उपरान्त वर्ष 2003 में पुनः राइट्स द्वारा मवैया से बासमण्डी चौराहे तक 1.60 किमी. लम्बाई में सैम्पुल स्टडी की गई एवं मार्च 2003 में दो खण्डों में स्टडी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। प्रश्नगत परियोजना कई वर्ष पुरानी है, परन्तु जी.एच. कैनाल के दोनो ओर अनाधिकृत निर्माण होने के कारण इसे क्रियान्वित नहीं किया जा सका है। यह उल्लेखनीय है कि जी.एच. कैनाल के दोनो ओर की भूमि नजूल/इम्प्रूमेन्ट ट्रस्ट की भूमि है, जिसका स्वामित्व राज्य सरकार/लखनऊ विकास प्राधिकरण का है। नजूल की भूमि का रख–रखाव एवं प्रबन्धन लखनऊ नगर में शासन की ओर से लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

2. वर्ष 2000 में मा. उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ के समक्ष दायर एक जनहित याचिका श्री बी.के. सिंह बनाम उ.प्र. सरकार व अन्य में मा. उच्च न्यायालय द्वारा जी.एच. कैनाल पर एक्सप्रेस–हाइवे बनाने के निर्देश दिये गये थे। इस हेतु यह भी निर्देश दिये गये थे कि राइट्स से फिजिबिलिटी स्टडी आदि कराकर सरकार द्वारा एक्सप्रेस–हाइवे के निर्माण हेतु पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये, परन्तु परियोजना स्थल के दोनो ओर काफी संख्या में अनाधिकृत निर्माण होने के कारण इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हो सकी।

3. उल्लेखनीय है कि कालीदास मार्ग तथा लाल बहादुर शास्त्री मार्ग के बीच कुछ भाग में राजभवन परिसर की भूमि एवं राजभवन कालोनी स्थित है। अतः विचार–विमर्श के उपरान्त यह उचित पाया गया कि लालबहादुर शास्त्री मार्ग से जी.एच. कैनाल के अप स्ट्रीम की ओर कार्य प्रारम्भ कराने की कार्यवाही की जाये। नगर निगम व डूडा के सहयोग से लालबहादुर शास्त्री मार्ग से जी.एच. कैनाल के अप स्ट्रीम में नाले के किनारे स्थित अनाधिकृत निर्माण को हटाने एवं उन्हें पुनर्वासित करने की कार्यवाही की गई है। वर्तमान समय में लालबहादुर शास्त्री मार्ग से सदर तक लगभग 770 मीटर लम्बाई में अधिकतर अतिक्रमण को हटाया जा चुका है।

4. परियोजना विशिष्ट तकनीकी प्रकार की होने के कारण प्रथम चरण में लालबहादुर शास्त्री मार्ग के अप स्ट्रीम में लगभग 350 मीटर लम्बाई में नाले पर स्लैब डालकर निर्मित करने का कार्य उ.प्र. राज्य सेतु निगम को सौपा गया था

एवं इस हेतु उन्हें रु0 1.00 करोड की धनराशि अग्रिम के रूप में उपलब्ध करायी गई थी। सेतु निगम द्वारा स्थल पर प्रारम्भिक कार्य प्रारम्भ किया गया था। तत्पश्चात यह परियोजना पी.पी.पी. माडल पर क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया, जिसके फलस्वरूप सेतु निगम द्वारा कार्य बन्द कर दिया गया।

5. इसी बीच रिजनल सेन्टर फार अर्बन एण्ड इनवायरनमेन्टल स्टडीज, लखनऊ द्वारा मवैया – चारबाग से कालीदास मार्ग तक लगभग 5 किमी. लम्बाई में कैनाल पर स्लैब डालकर कवर करने तथा 6 लेन सड़क निर्माण के लिए डी.पी. आर. तैयार किया गया एवं जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई, परन्तु इस पर अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पायी है। परियोजना के इस प्रखण्ड में सड़क निर्मित होने से चारबाग–हजरतगंज क्षेत्र में यातायात की समस्या से काफी सीमा तक निदान मिल जायेगा।

6. परियोजना पी.पी.पी. माडल पर क्रियान्वित की जानी है। उ.प्र. शासन द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार पी.पी.पी. माडल पर परियोजना क्रियान्वित करने के लिए विकासकर्ता के चयन एवं इस हेतु कन्सलटेन्ट के चयन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस प्रक्रियां के अन्तर्गत कन्सलटेन्ट का चयन प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। कन्सलटेन्ट चयनित हो जाने के उपरान्त उसके द्वारा डी.पी.आर. तैयार किया जायेगा एवं बिड प्रासेस मैनेजमेन्ट करके निजी विकासकर्ता के चयन की कार्यवाही करायी जायेगी। प्राधिकरण की गत बैठक में पी.पी.पी. माडल पर इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु कन्सलटेन्ट चयन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिस पर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था। प्राधिकरण द्वारा कन्सलटेन्ट के चयन की कार्यवाही की जा रही है, जिसमें अभी कुछ समय लगने की सम्भावना है।

7. लालबहादुर शास्त्री मार्ग से सदर तक लगभग 770 मीटर में नाले के दोनों किनारों से अधिकतर अतिक्रमणों को हटाया जा चुका है। यदि शीघ्र इस पर विकास कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया तो पुनः इस भूमि पर अतिक्रमण हो जाने की सम्भावना है। यदि लालबहादुर शास्त्री मार्ग से सदर तक लगभग 770 मीटर जिसमें अधिकतर अतिक्रमण हटाया जा चुका है, में नाले के ऊपर स्लैब डालने का कार्य प्रारम्भ करा दिया जाये। इससे पी.पी.पी. माडल पर योजना क्रियान्वयन पर निजी विकासकर्ता को परियोजना के प्रति विश्वास उत्पन्न होगा एवं वह परियोजना के प्रति आकर्षित होगा।

8. अतः इस दृष्टिकोण से लालबहादुर शास्त्री मार्ग से सदर तक लगभग 770 मीटर लम्बाई में नाले ऊपर सड़क निर्माण, नाले पर स्लैब डालकर कवर करने, 4 लेन की सड़क निर्माण, नाले के चारों ओर रिटेनिंगवाल का निर्माण तथा अवशेष भूमि के विकास एवं सौन्दर्यीकरण के कार्य हेतु रु0 32.72 करोड़ का आगणन तैयार किया गया है। तैयार किये गये आगणन में नाले को आर.सी.सी. स्लैब डालकर कवर करने के कार्य हेतु उ.प्र. राज्य सेतु निगम द्वारा प्रस्तुत आगणन

रु0 18.19 करोड़ सम्मिलित किया गया है। आगणन में सेतु निगम द्वारा प्रस्तावित कार्यो के साथ--साथ 4 लेन की सड़क का निर्माण, नाले के दोनो ओर रिटेनिंगवाल का निर्माण, अवशेष भूमि का विकास एवं सौन्दर्यीकरण, प्रकाश व्यवस्था आदि सम्मिलित किया गया है। इस प्रखण्ड में उपरोक्त कार्य करने के उपरान्त पी.पी.पी. माडल पर कार्य करने हेतु विकासकर्ता के चयन के उपरान्त जो कार्य किया जायेगा उसमें इस सीमा तक धनराशि परियोजना में राज्य सरकार की हिस्सेदारी के रूप में रहेगी।

9. उपरोक्त कार्य हेतु रु0 32.72 करोड़ का आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति वरीयता पर प्रदान करने हेतु प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन को आगणन प्रेषित किया गया है।

प्रस्ताव

उपरोक्त के दृष्टिगत जी.एच. कैनाल सड़क परियोजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में लाल बहादुर शास्त्री मार्ग से सदर तक कैनाल को कवर करते हुए सड़क निर्माण तथा अन्य विकास व सौन्दर्यीकरण का कार्य कराने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय संख्या अनु० विषय सं० 3 पृष्ठ संख्या

विषयः रमाबाई अम्बेडकर मैदान का विकास करने के सम्बन्ध में।

उच्च स्तर पर हुए निर्णय के क्रम में रमाबाई अम्बेडकर मैदान को सार्वजनिक सभाओं, राजनीतिक रैली एवं प्रदर्शनी आदि के लिए विकसित करने का प्रस्ताव है। प्रथम चरण में बाउन्ड्रीवाल का निर्माण, भूमि समतलीकरण, स्टेज प्रथम चरण तथा पहुँच मार्ग व कुछ अन्य कार्य कराये गये हैं।

2. समय–समय पर उच्च स्तर पर हुए विचार–विमर्श के क्रम में रमाबाई अम्बेडकर मैदान के विकास कार्यो के अन्तर्गत कुछ अन्य कार्य कराने की अपेक्षा की गई है। परियोजना के वास्तुविद द्वारा रमाबाई अम्बेडकर मैदान के विकास हेतु जो कांसेप्ट डिजाइन प्रस्तुत किया गया है, उसके अनुसार रमाबाई अम्बेडकर मैदान के विकास हेतु आगणन तैयार किया गया है, जो कि रु0 79.66 करोड़ का है। आगणन में मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य सम्मिलित किये गये हैं:–

1. डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के सम्मुख मुख्य सड़क पर तीन दर का डोमनुमा द्वार का निर्माण तथा द्वार पर सैण्ड स्टोन का पत्थर लगाने का कार्य।
2. अमर शहीद पथ से मैदान में आने के लिए निर्मित सड़क के प्रारम्भ में तीन दर का डोमनुमा द्वार का निर्माण तथा द्वार पर सैण्ड स्टोन का पत्थर लगाने का कार्य एवं पार्किंग स्थल पर तीन द्वार का निर्माण एवं सैण्ड स्टोन पत्थर लगाने का कार्य।
3. बाउण्ड्रीवाल का निर्माण, पिलर तथा दीवाल में सैण्ड स्टोन की क्लैडिंग का कार्य।
4. डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के सम्मुख सड़क एवं फुटपाथ का निर्माण।
5. मुख्य द्वार से स्टेज तक जाने हेतु गैंगवे के रूप में 3.60 मीटर चौड़ी सीमेन्ट कंक्रीट की सड़क का निर्माण।
6. डा. भीमराव अम्बेडकर तथा रमाबाई अम्बेडकर की प्रतिमा की स्थापना, पेडस्टल का निर्माण तथा प्रतिमा के उपर कैनोपी का निर्माण, दोनों प्रतिमाओं तक 6 मीटर चौड़ी पहुंच मार्ग का निर्माण।
7. पार्किंग स्थल पर आबादी की ओर की बाउण्ड्रीवाल के किनारे 12 फिट की जगह छोड़कर अलग–अलग पुरुष व महिला ट्वालेट (6 फिट X 4 फिट) का निर्माण, एप्रैन।

8. मैदान में चारो ओर पीने के पानी की व्यवस्था तथा जल निकासी की समुचित व्यवस्था

9. 500 किलो लीटर क्षमता का एक वाटर टेंक का निर्माण।

10. अमर शहीद पथ से मंच तक जाने वाली वी.आई.पी. रोड के दोनों ओर पाम का वृक्षारोपण।

11. अमर शहीद पथ तथा मैदान की बाउन्ड्रीवाल के बीच नीम का वृक्षारोपण।

12. पार्किग स्थल पर गांव की ओर की बाउन्ड्रीवाल के किनारे बाहर की ओर इमली के पेड़ तथा अन्य तीन बाउन्ड्रीवाल के किनारे अन्दर की ओर 4 फिट दूरी पर नीम का वृक्षारोपण।

13. मैदान के अन्दर लगभग 3.5 एकड क्षेत्रफल में स्थित गांव की आबादी का स्थानान्तरण करने के फलस्वरूप प्रभावित व्यक्तियों को प्रतिकर तथा उनके निर्माणों का मूल्यांकन प्रकलन का भुगतान।

14. मैदान के लिए पहुंच मार्गो का सुधार/निर्माण।

15. विद्युत सब–स्टेशन एवं अन्य विद्युतीकरण का कार्य।

3. आगणन की प्रति दाहिनी ओर संलग्न है। कृपया अवलोकित करना चाहें। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा शारदा नगर योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत की गई थी एवं इसके प्रतिकर आदि का भुगतान करके कब्जा प्राप्त किया गया था। योजना में वाह्य विकास भी प्राधिकरण द्वारा किया जा चुका है। अतः आगणन में विकास कार्यो के साथ–साथ भूमि की लागत भी सम्मिलित की गई है।

4. रमाबाई अम्बेडकर मैदान के विकास हेतु आगणन रु0 79.66 करोड़ की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति वरीयता पर प्रदान करने हेतु प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन को आगणन प्रेषित किया गया है।

प्रस्ताव

उपरोक्त के दृष्टिगत रमाबाई अम्बेडकर मैदान का विकास किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय संख्या अनु विषय सं० 4 पृष्ठ संख्या

विषयः मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मृति उपवन का विकास करने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में लखनऊ बिजनौर रोड़ पर लगभग 101 एकड़ क्षेत्रफल में एक स्मृति उपवन विकसित किया गया था। इसके अन्तर्गत लगभग 20 एकड क्षेत्रफल में वृक्षारोपण है तथा लगभग 1 एकड क्षेत्र में कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि देने हेतु वृक्ष लगाने के लिए कारगिल पुष्करणी तथा कारगिल निकुंज विकसित किया गया था। उक्त स्मृति उपवन को **''मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मृति उपवन''** के रूप में विकसित किये जाने का प्रस्ताव है। आर्कीटेक्ट द्वारा जो कांसेप्ट डिजाइन प्रस्तुत की गई है, उसके अनुसार निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित हैं:–

1 परिसर के चारों ओर सालिड सैन्ड स्टोन (चुनार) से लगभग 2.60 किमी लम्बी बाउण्ड्रीवाल का निर्माण तथा उत्तर व दक्षिण बाउन्ड्री पर स्थित गेट पर सैन्ड स्टोन की क्लैडिंग बदलने का कार्य।

2. पूरब की ओर की (बिजनौर रोड) बाउण्ड्रीवाल पर तीन दर वाला मुख्य द्वार का निर्माण।

3. परिसर के सेन्टर में लगभग 50 मीटर X 50 मीटर X 30 मीटर का एक स्मारक का निर्माण। स्मारक के केन्द्र में 12 फिट उंचे मार्बल के पैंस्टल पर मान्यवर श्री कांशीराम जी तथा माननीया मुख्यमंत्री जी की 18 फिट उंची ब्रांज की प्रतिमा स्थापना।

4. परिसर में मुख्य द्वार के अन्दर की ओर पाथ–वे के दोनों ओर 15 फिट उंचे ब्रांज के दो हाथी की स्थापना।

5. मुख्य स्मारक के दोनों ओर लगभग बराबर दूरी पर ब्रांज के 28 फिट उंचे दो फाउण्टेन की स्थापना।

6. मुख्य स्मारक के सम्मुख पाथवे के दोनों ओर ब्रांज के 28 फिट उंचे दो अन्य फाउण्टेन की स्थापना।

7. वाटर वाडी में लगभग 40 मीटर की गोलाई में एक 'जेट फाउण्टेन' लगाया जाना है, शेष भाग को समतल करना है।

8. पश्चिम तथा दक्षिण की ओर जो द्वार है उसकी लाइन में पत्थर की दो रॉकरी तथा पश्चिम दिशा की ओर बराबर दूरी पर दो रॉकरी का विकास।

9. बिजनौर रोड पर बाउण्ड्रीवाल के बाहर 10 फिट चौड़ी पटरी बनाकर उसमें इमली के पेड लगाये जाने हैं तथा बाउण्ड्रीवाल के अन्दर किनारे–किनारे क्यारी बनाकर पाम का वृक्षारोपण।

10. परिसर के चारों कोनों पर तथा पूरब व पश्चिम की दीवार के मध्य में वाच टावर–कुल 6 (भूतल पर रहने हेतु कमरा व ट्वायलेट तथा प्रथम तल पर वाच टावर) का निर्माण।

11. मुख्य स्मारक के पीछे पेडस्टल निर्मित करके गौतम बुद्धा की प्रतिमा स्थापना एवं कैनोपी का निर्माण।

12. परिसर में चारो ओर अन्दर पाम तथा बाहर इमली का वृक्षारोपण।

13. परिसर में चारों ओर बाउन्ड्री से 50 फिट दूर सैन्ड स्टोन की बेंन्चें (100–100 फिट की दूरी पर) की स्थापना।

14. उत्तर तथा दक्षिण की बाउन्ड्रीवाल पर निर्मित गेट के पास पीने के पानी की व्यवस्था

15. परिसर में सुरूचिपूर्ण लैण्ड स्केप का विकास।

2. हाथी, प्रतिमा तथा ब्रांज के फाउन्टेन का कार्य संस्कृति विभाग के बजट से किया जाना है एवं इस हेतु संस्कृति विभाग द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आर्कीटेक्ट का चयन किया जा चुका है एवं परियोजना का कान्सेप्ट अनुमोदित है। शासन को उपरोक्त कार्यो को सम्मिलित करते हुए परियोजना हेतु रु. 122.25 करोड़ का व्ययानुमान स्वीकृति हेतु दिनांक 27.10.2007 को प्रेषित किया गया है।

प्रस्ताव

उपरोक्त के दृष्टिगत मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मृति उपवन के विकास कार्यो का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27 अक्टूबर, 2007 में लिये गये निर्णयों का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	श्री विजय शंकर पाण्डेय	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
2.	श्री किशन सिंह अटोरिया	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण
3.	श्री चन्द्र भानु	जिलाधिकारी, लखनऊ।
4.	श्री रामबहादुर (प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव–आवास)	विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन।
5.	श्री ओम नारायण	निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।
6.	श्री ए0सी0 सिन्हा (प्रतिनिधि–नगर आयुक्त)	अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
7.	श्री अवनीश चतुर्वेदी	संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
8.	ई0 सूरज लाल	मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम,लखनऊ।
9.	श्री एस0बी0 दफ्तरदार (प्रतिनिधि–मु0न0 एवं ग्रा0नि0)	सीनियर प्लानर, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
10.	श्री संजीव कश्यप (प्रतिनिधि–आवास आयुक्त)	आर्कीटेक्ट प्लानर/ओ.एस.डी. उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

अन्य उपस्थिति :

11.	श्री भूपेन्द्र सिंह	सचिव, ल0वि0प्रा0, लखनऊ।
12.	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह	अपर सचिव, ल0वि0प्रा0।
13.	श्री महेन्द्र प्रसाद	वित्त नियन्त्रक, ल.वि.प्रा.।
14.	श्री त्रिलोकी नाथ	मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।
15.	श्री रवि श्रीवास्तव	मुख्य अभियन्ता–वि0/यां0, ल0वि0प्रा0

अध्यक्ष महोदय के सम्बोधन एवं उपाध्यक्ष एवं सदस्यगणों के औपचारिक परिचय के उपरान्त बैठक प्रारम्भ हुई ।

विषय संख्या : 1	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29 सितम्बर, 2007 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।
निर्णय :	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29 सितम्बर, 2007 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
विषय संख्या : 2	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29 सितम्बर, 2007 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।
निर्णय :	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29 सितम्बर, 2007 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।
विषय संख्या : 3	भूखण्ड संख्या 13–ए माल एवेन्यू, लखनऊ पर प्रस्तावित "मान्यवर कांशीराम यादगार विश्राम स्थल" मानचित्र को फ्लोटिंग उपयोग के अन्तर्गत विशेष अनुमति से अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में लखनऊ महायोजना–2021 में प्राविधानित समिति की संस्तुति पर विचार–विमर्श।
निर्णय :	विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
विषय संख्या : 4	भूखण्ड संख्या–4, साउथ एवेन्यू लखनऊ पर प्रस्तावित "मान्यवर कांशीराम स्मृति भवन" मानचित्र को फ्लोटिंग उपयोग के अन्तर्गत विशेष अनुमति से अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में लखनऊ महायोजना–2021 में प्राविधानित समिति की संस्तुति पर विचार–विमर्श।
निर्णय :	विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
विषय संख्या : 5	लखनऊ विकास प्राधिकरण के आय–व्यय वित्तीय वर्ष 2007–08 की समीक्षा।
निर्णय :	निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की आगामी बैठक के पूर्व वर्ष 2005–06 का आय–व्ययक एवं बैलेंस शीट एजेण्डा के साथ प्रसारित कर दी जाये तथा आगामी बैठक में इस पर विचार–विमर्श किया जाये।

विषय संख्या : 6	लखनऊ विकास प्राधिकरण के संस्थागत भूखण्डों के आवंटन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में विचार–विमर्श एवं निर्णय।
निर्णय :	निर्णय लिया गया कि संस्थागत भूखण्डों के आवंटन की प्रक्रिया एक माह में तैयार करके आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये। तब तक ग्रेटर नोएडा में लागू प्रक्रिया के अनुसार आवंटन कार्यवाही की जाये।
विषय संख्या : 7	वर्ष 1980 से लखनऊ विकास प्राधिकरण में लम्बित पुराने पंजीकरणों पर चर्चा एवं उनके सम्बन्ध में निर्णय पर विचार।
निर्णय :	हरदोई रोड योजना के लम्बित पंजीकरणों के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि जिन सेक्टरों के लिए लाटरी अभी नहीं डाली गयी है, उनकी लाटरी की कार्यवाही शीघ्र सम्पादित की जाये। जिससे प्राधिकरण को ब्याज की देयता से बचाया जा सके।
विषय संख्या : 8	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अर्जित की जा रही भूमि की प्रगति के सम्बन्ध में समीक्षा।
निर्णय :	प्रगति का अवलोकन किया गया एवं निर्णय लिया गया कि भूमि अर्जन की प्रस्तावित योजनाओं में समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करके धारा–4 व धारा–6 की विज्ञप्तियाँ प्रकाशित करायी जाये तथा अर्जित भूमि का टेन्टेंटिव ले–आउट प्लान भी साथ–साथ तैयार कराया जाये।
विषय संख्या : 9	लखनऊ विकास प्राधिकरण में चल रहे कम्प्यूटराइजेशन के कार्य की प्रगति की समीक्षा।
निर्णय :	प्रगति से अवगत कराया गया एवं निर्देश दिये गये कि साफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने तथा उस पर कार्य प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो चुकी है। अतः निर्देश दिये गये कि एक सुनिश्चित कार्यक्रम तैयार करके कम्प्यूटराइजेशन की कार्यवाही की जाये तथा आगामी बैठक में भी समीक्षा की जाये।

विषय संख्या : 10 लखनऊ विकास प्राधिकरण में जन–शिकायतों के निस्तारण एवं प्रक्रिया पर विचार।

निर्णय : जन शिकायतों के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित अधिकारियों के टेलीफोन नम्बर प्रकाशित करा दिये जाये, जिससे जनता को सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क करने में कठिनाई न हो। यह भी निर्देश दिये गये कि निस्तारण से शिकायतकर्ता को भी अवगत कराया जाये।

अनुपूरक विषय सं0 : 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्थित भूमि के समायोजन हेतु नीति निर्धारण के सम्बन्ध में।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि विभिन्न योजनाओं में जो खसरा नम्बर पूर्व में अधिग्रहण से छूट गये है, उनका तत्काल अधिग्रहण किया जाये तथा पूर्व के अधिग्रहण में जो भूमि छूट गई, उसके लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरुद्ध कृत कार्यवाही की आख्या बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि समायोजन के जो प्रकरण पूर्व में क्रियान्वित नहीं हो पाये हैं, उन्हें निरस्त कर दिया जाये। यदि कोई समायोजन प्राधिकरण की योजनाओं के हित में अत्यन्त अपरिहार्य हो तो उसे मुख्य अभियन्ता, संयुक्त सचिव–अर्जन, वित्त नियंत्रक, अपर सचिव व सचिव की समिति द्वारा विधिवत् परीक्षण करके औचित्य सहित बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

(भूपेन्द्र सिंह)
सचिव

(किशन सिंह अटोरिया)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

(विजय शंकर पाण्डेय)
आयुक्त लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।